संशोधित प्रति
30 जून, 2002

सर्व शिक्षा अभियान

जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्ययोजना (2002–2007)

जनपद – चन्दौली

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11482
Date 09-07-2002.

चन्दौली

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की पृष्ठभूमि	1–4
2.	शैक्षिक परिदृश्य	5–13
3.	नियोजन प्रक्रिया	14–28
4.	सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य	29–32
5.	समस्याएं एवं रणनीतियाँ	33–35
6.	शिक्षा को पहुँच का विस्तार– (नवीन विद्यालय)	36–40
7.	शिक्षा की पहुँच का विस्तार– (ई0जी0एस0 / ए0आई.ई0)	41–81
8.	ठहराव में वृद्धि	82–97
9.	प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन	98–130
10.	परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण	131–154
11.	परियोजना लागत	155–168

अध्याय–1

जिले की पृष्ठभूमि

संक्षिप्त परिचय

पतित पावनी एवं मोक्ष प्रदायिनी गंगा के पूर्वी छोर पर चन्दौली जनपद स्थित है। यह जनपद पश्चिम में गंगा एवं दक्षिण दिशा में कर्मनाशा नदी से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में जनपद वाराणसी एवं जनपद मिर्जापुर, दक्षिण दिशा में बिहार राज्य एवं उत्तर दिशा में गाजीपुर जनपद तथा दक्षिण दिशा में सोनभद्र जनपद स्थित है। चन्दौली जनपद पर्वतीय तथा मैदानी दोनों ही प्रकार के भू–भागों से सम्पन्न है। वर्ष 1997 के मई माह में उत्तर प्रदेश शासन की एक अधिसूचना के क्रम में इस जनपद का सृजन हुआ तथा जिला स्थापित हुआ। इससे पूर्व यह जनपद वाराणसी जनपद का अंग रहा। पतित पावनी गंगा की गोद में पल्लवित यह जनपद विकास–प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। कृषि प्रधान इस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है जो जनपद की सम्पन्नता का सूचक है। जनपद का क्षेत्रफल 2530.44 वर्ग किमी0 है। प्रशासनिक दृष्टि से जनपद तीन तहसीलें और नौ विकास खण्डों में विभाजित है। प्रशासनिक इकाइयों का विवरण निम्न सारणी से स्पष्ट होता है :–

सारणी – 1.1

जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ

इकाई का नाम	संख्या
तहसील	03
विकास खण्ड	09
न्याय पंचायत	102
ग्राम सभायें	622
राजस्व ग्राम	1367
बस्तियों की संख्या	1755

नगरीय क्षेत्र	01
नगर निगम	00
नगर महापालिका	00
नगर पालिका	01
टाउन एरिया	03
वार्ड	35

स्रोत – जिला सांख्यकी पत्रिका 1997

चन्दौली जनपद में कुल तीन तहसीलें क्रमशः चन्दौली सदर, सकलडीहा तथा चकिया है। इन तहसीलों में कुल नौ विकास खण्ड क्रमशः चन्दौली, बरहनी, नियमताबाद, सकलडीहा, धानापुर, चहनिया, चकिया, शहाबगंज, नौगढ़ है। इसके साथ ही इनमें एक नगर पालिका मुगलसराय, तीन टाउन एरिया क्रमशः चन्दौली, सैयदराजा एवं चकिया स्थित है, ग्रामीण क्षेत्रों में 102 न्यायपंचायतें, 622 ग्राम पंचायते तथा 1635 राजस्व ग्राम है, जिनमें से 1367 राजस्व ग्राम आबाद है।

जनपद में पहाड़ी एवं मैदानी दोनो ही प्रकार के क्षेत्र मौजूद है। पहाड़ी क्षेत्र चकिया एवं नौगढ़ में राजदरी एवं देवदरी जलप्रपात जहाँ अपने प्राकृतिक सुषमा और मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है वहीं नौगढ़ एवं विजयगढ़ के भग्नावशेष स्वर्गीय देवकीनन्दन खत्री के उपन्यास 'चन्द्रकान्ता संतति' के तिलस्म की याद दिलाती है।

जनपद के सुदूर उत्तरान्चल में दॉणगंगा के तट पर अघोरेश्वर बाबा किनाराम की जन्म भूमि एवं तपोभूमि है। यह पवित्र स्थल रामगढ़ ग्राम में स्थित है जो सदियों से सांस्कृतिक, अध्यात्मिक एवं सामाजिक तथा राजनैतिक चेतना की संवाहक रही है। यहाँ स्थित महान वट वृक्ष आज भी समता, एकता एवं शांति का संदेश देता है जहाँ अघोरेश्वर बाबा किनाराम 8 वर्ष की आयु में ही बैठ कर तप किया करते थे। इस स्थान के दक्षिण में आज भी 'विराटनगर' (बिरटा) नामक स्थान ऐतिहासिक विशिष्टिता के साथ विद्यमान है जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने पाण्डवों के साथ गुप्तवास किया था। पश्चिम वाहिनी गंगा के तट पर चुनार नामक स्थान पर महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम भी है जहाँ माघी अमावस्या के अवसर पर स्नानार्थियों का विशाल मेला लगता है।

पूर्वान्चल की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने वाली एवं उत्तर भारत की सबसे बड़ी कोयला मण्डी "चन्धासी" एवं व्यापार तथा आवागमन को सुगम बनाने वाला एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल यार्ड "मुगलसराय" इसी जनपद में स्थित है जहाँ से भारतवर्ष के किसी भी कोने के लिए रेलयात्रा सुगमता पूर्वक की जा सकती है। यहीं पर कलकत्ता से पेशावर तक जानेवाली इतिहास प्रसिद्ध "शेरशाह सूरी" द्वारा बनवाई गई ग्रैन्ड–ट्रंक रोड (जी0टी0 रोड) भी स्थित है जो चन्दौली जनपद को उत्तरी भारत के लगभग सभी नगरों से जोड़ती है। इस जनपद में कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु चातुर्दिक नहरों का जाल बिछा हुआ है। इससे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जनपद के किसान आत्मनिर्भर हैं। धान एवं गेहूँ इस जनपद में कृषि सम्बन्धी प्रमुख उत्पाद है।

1991 की जनगणना के अनुसार चन्दौली जनपद की कुल आबादी 1282079 है। जिसमें पुरुष 672587 तथा महिलाओं की संख्या 609492 है। अनुसूचित जाति की आबादी 306973 है। इसमें पुरुष 159626 और 147347 महिलाये हैं। जनपद में महिलाओं की आबादी कुल आबादी का 48 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की आबादी में महिलाओं का प्रतिशत 48 है। जनपद के जनसंख्या सम्बनधी प्रमुख आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

जनपद की कुल जनसंख्या	1282079
ग्रामीण जनसंख्या	1157071 90.24%
नगरीय जनसंख्या	125008 9.75%
पुरुष	672587 52.46%
महिला	609522 47.53%
लिंग अनुपात	52.4 : 47.6
अनुसूचित जाति	307904 24%
जनसंख्या का घनत्व	507 प्रति वर्ग किमी
जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर	2.2%

1981–91 के दशक के आधार पर जनसंख्या की वार्षिक वृद्धिदर राज्य स्तर के अनुसार मानी गयी है। वर्ष 2001 की जनगणना की क्षेत्रवार तथा जातिवार संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपदीय कुल जनसंख्या 1639777 हो गई है, जिसमें पुरूष 853016 तथा महिलायें 786761 हैं 0–6 वर्ष में बच्चों की संख्या 316592 हैं जो कुल जनसंख्या का 19.3% है। जनसंख्या वार्षिक वृद्धिदर 2.55% है। जनसंख्या का विवरण नीचे सारिणी नं0 1.2 में स्पष्ट की गई है :–

2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या

पुरूष	महिला	योग
853016	786761	1639777

सारिणी संख्या 1.2

विकास खण्डवार / नगर क्षेत्रवार जन संख्या का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	1991 की कुल जनसंख्या			1991 की कुल अनु0जाति की जन संख्या			2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या			2001 की अनुमानित अनु0जा0 की जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	चन्दौली	69318	62479	131797	18343	16465	34808	84567	76224	160791	22378	20087	42465
2.	नियामताबाद	88939	78206	167145	16018	14010	30028	108506	95411	203917	19542	17092	36634
3.	बरहनी	64859	60209	125068	14464	13061	27525	79128	73455	152583	17647	15934	33581
4.	सकलडीहा	88770	81296	170066	23856	21542	45398	108299	99182	207481	29104	26281	55385
5.	धानापुर	78320	74502	152822	18815	17296	36111	95942	91265	187207	23048	21188	44236
6.	चहनिया	7160	68462	142622	15087	13665	28752	90475	83523	173998	18406	16671	35077
7.	चकिया	61902	55664	117566	16621	14994	31615	75520	67910	143430	20279	18292	38571
8.	शहाबगंज	50263	45583	95846	14873	13895	28768	61320	55612	116932	18145	16341	34486
9.	नौगढ़	23856	213444	45200	10012	9070	19082	31546	28653	60199	15042	14028	29070
10.	बनग्राम	4937	4002	8939	3042	2554	5596	6023	4882	10905	3711	3116	6827
	योग (ग्रामीण)	**505324**	**551747**	**1157071**	**151131**	**136552**	**287683**	**741326**	**676117**	**1417443**	**187302**	**169030**	**356332**
	न0पा0 मुगलसराय	49558	41947	91505	7881	7136	15017	60461	51175	111636	9615	8706	18321
	टा0ए0 चन्दौली	5910	5129	11039	1116	911	2027	7210	6257	13467	1468	1065	2533
	चकिया	5543	5044	10587	701	682	1383	6762	6165	17927	1047	1041	2088
	सैयदराजा	6252	5655	11907	983	811	1794	7627	6899	14526	877	810	1687
	योग (नगर)	**67263**	**57775**	**125038**	**10681**	**9540**	**20221**	**82060**	**70496**	**150556**	**13007**	**11622**	**24629**
	महायोग	**672587**	**609522**	**1282109**	**161812**	**146092**	**307904**	**823386**	**746613**	**1569999**	**200309**	**180652**	**38096**

स्रोत – जनपद सांख्यिकी पत्रिका 1997

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना की विकासखण्ड वार, जातिवार सारणी उपलब्ध नहीं है, इसलिये अनुमानित जनसंख्या दी गयी है।

अध्याय–2

शैक्षिक परिदृश्य

जनपद चंदौली वर्ष 1997 तक जनपद वाराणसी का अंग रहा तथा इसका पहचान वाराणसी जनपद से ही होता रहा। इस जनपद का सृजन 27 मई 1997 को हुआ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष 93–94 से 97–98 तक वाराणसी जनपद से संचालित रही। जनपद के सृजन के पश्चात वर्ष 98–99 से वर्ष 99–2000 तक इस योजना का संचालन चंदौसी जनपद से हुआ। इस योजना के अन्तर्गत 131 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 35 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 70 प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण, 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण, 614 अतिरिक्त कक्षाकक्ष, 120 शौचालय, 102 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा 9 ब्लाक संसाधन केन्द्र की स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का विभिन्न आयामों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैं इस परियोजना के फलस्वरूप विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता तथा विद्यालयों को आकर्षक बनाने में उल्लेखनीय सुधार हुआ हैं, जिसके कारण जनपद का ड्राप–आउट दर 30 प्रतिशत से घट कर 21.8 प्रतिशत रह गया है।

साक्षरता दर

चन्दौली जनपद में साक्षरता का कुल प्रतिशत 42 है। इसमें पुरूषों की साक्षरता का प्रतिशत 54 है एवं महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 30 है। 1991 की जनगणना सांख्यिकी के अनुसार चन्दौली जनपद की साक्षरता दर निम्नांकित सारिणी नं0 2.1 में प्रदर्शित हैः–

सारिणी न0 2.1

जनपद की साक्षरता दर (1991)		प्रतिशत	
कुल साक्षरता		42	
ग्रामीण साक्षरता		32	
नगरीय साक्षरता		52	
कुल पुरुष साक्षरता		30	
अनुसूचित जाति साक्षरता	पुरुष	महिला	कुल
	25	13	18
ग्रामीण पुरुष साक्षरता		46	
ग्रामीण महिला साक्षरता		18	
नगरीय पुरुष साक्षरता		62	
नगरीय महिला साक्षरता		42	

स्रोत – जनपद सांख्यिकी पत्रिका 1997, जनपद चन्दौली

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 61.11 प्रतिशत हो गई है। पुरूष साक्षरता 75.55 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 45.45 प्रतिशत है विगत दशक में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है।

जनपद के विभिन्न खण्डों में साक्षरता दर का विवरण निमनलिखित सारणी नं0 2.2 में स्पष्ट परिलक्षित है।

सारणी नं0 2.2

विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार साक्षरता

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर			साक्षरता दर अनु. जाति		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	चन्दौली	55%	21%	36%	24%	12%	18%
	नियमताबाद	42%	14%	28%	20%	10%	16%
	बरहनी	52%	23%	38%	23%	11%	17%
	सकलडीहा	49%	18%	34%	26%	14%	20%
	धानापुर	51%	21%	36%	28%	16%	22%
	चहनियॉ	52%	21%	37%	25%	17%	21%
	चकिया	42%	17%	30%	21%	09%	15%
	शहाबगंज	45%	17%	32%	24%	14%	19%
	नौगढ़	28%	06%	17%	16%	08%	12%
	योग :	46%	18%	32%	45%	13%	18%
	न0पालिका मुगलसराय	66%	46%	56%	30%	20%	25%
	टाउन एरिया चन्दौली	60%	40%	50%	24%	12%	18%
	टाउन एरिया सैयदराजा	62%	42%	52%	23%	11%	17%
	टाउन एरिया चकिया	58%	38%	48%	21%	09%	15%
	योग :	62%	42%	52%	25%	13%	18%

स्रोत–सांख्यकी पत्रिका 1997 जनपद चन्दौली।

जनगणना वर्ष 2001 की विकास खण्ड की साक्षरता दर उपलब्ध नही है।

विकासखण्ड वार साक्षरता–दर की तालिका का अवलकोन करने से यह स्थिति सानने उभर कर आती है कि ग्रामीण क्षेत्र के नौगढ़ विकासखण्ड में तथा नियमताबाद विकासखण्ड में साक्षरता दर निम्न तथा महिला साक्षरता विशेष कर अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता की दर अति निम्न है अस्तु शैक्षिक विकास के विशेष प्रयास करने होंगे।

जनपद की शैक्षिक संस्थायें:–

चन्दौली जनपद में वर्तमान समय में शिक्षा/शिक्षा कियाकलापों और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के निमित्त निम्नांकित कोटि की शैक्षिक संस्थाएँ उपलब्ध एवं कियाशील है। इनका विवरण नीचे सारणी 2.3 से स्पष्ट होती है।

सारणी संख्या – 2.3

क्र. स.	विद्यालयों की कोटि	परिषदीय/ शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्राथमिक विद्यालय	792	08	800	74	17	91	866	25	891	50	–	50
2.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	173	01	174	77	13	90	250	14	265	19	–	19
4.	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	–	–	–	13	01	14	13	01	14	–	–	–
5.	केन्द्रीय विद्यालय	01	01	02	–	–	–	01	01	02	–	–	–
6.	नवोदय विद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हाईस्कूल	01	–	01	17	01	18	18	01	19	–	–	–
8.	इण्टरमीडिएट	03	–	03	29	03	32	32	03	35	–	–	–
9.	डिग्री कालेज	02	–	04	01	05	06	01	07	–	–	–	–
10.	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	01	–	01	01	01	02	02	01	03	–	–	–
11.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	तकनीकी संस्थान (आई.टी. आई/पालीटेक्निक)	01	–	01	–	–	–	01	–	01	–	–	–
13.	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	ऑगनवाणी केन्द्रों की संख्या	166	–	166	–	–	–	166	–	166	–	–	–
15.	मकतब/मदरसे	–	–	–	05	01	06	05	01	06	05	–	05
16.	संस्कृत पाठशालायें	–	–	–	04	–	04	04	–	04	–	–	–
17.	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	बाल श्रमिक विद्यालय												

श्रोत विभागीय आँकड़े।

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)

चन्दौली जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों का विवरण निम्न प्रकार से है। नीचे सारणी संख्या 2.4 में दर्शायी गई स्थिति अवलोकनीय है :–

सारणी संख्या–2.4

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय	4479	2755	1499	225
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1207	711	496	–

स्रोत : विभागीय आकड़े

विद्यालयों की उपलब्धता

चन्दौली जनपद में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने में सहायक परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता की स्थिति नीचे कमशः सरणी संख्या 2.5 एवं सारिणी संख्या 2.6 में प्रदर्शित है :

सारणी संख्या 2.5

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1 कि0मी0 से अधिक किन्तु 1.5 कि0मी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	808	202	16
ऐसी बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	845	37	34

सारणी 2.6

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

	3 कि.मी. से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	3 कि.मी. से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध	उच्च प्राथमिक अनुपात 1.2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसे ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	445	30	248
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	485	37	—

नोट : वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	792
नये प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	50
योग	842
1:2 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालय	421
वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय	178
शेष आवश्यकता	248

विद्यालयों में उपलब्ध सुविधायें: –

चन्दौली जनपद के परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की स्थिति निम्नांकित सारणी संख्या 2.9 में स्पष्ट की गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सारणी में पृथक–पृथक स्पष्ट की गई है।

सारणी संख्या : 2.9

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति ग्रामीण+नगर)

क्र0स0	प्राथमिक स्तर		ग्रामीण विकास खण्ड क्षेत्र	नगर क्षेत्रवार	योग
1	प्राथमिक विद्यालय भवन		792	08	800
2	एक कक्षीय विद्यालयों की सं0		02	–	002
	तीन कक्षीय विद्यालयों की सं0		156	04	160
	चार कक्षीय विद्यालयों की सं0		209	–	209
	पाँच कक्षीय विद्यालयों की सं0		81	01	82
	पाँच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय		63	–	63
	किराये के भवन में संचालित विद्यालय		–	–	–
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय		लघु मरम्मत योग	118	193
			वृहत्त मरम्मत योग	75	
4.	शौचालय युक्त विद्यालय	753	शौचालयों की आवश्यकता		47
	शौचालय विहीन विद्यालय	47			
5.	हैण्ड पम्प युक्त	705	हैण्ड पम्प की आवश्यकता		95
	हैण्ड पम्प विहीन	95			
6.	चहार दिवारी युक्त	142	चहार दिवारी की आवश्यकता		658
	चहार दिवारी विहीन	658			
6–ए	पुनर्निर्माण योग्य – ग्रामीण क्षेत्र		नगर क्षेत्र – योग		029

7. उच्च प्राथमिक स्तर

	उ0प्रा0वि0 भवन	कुल वि0 सं0	भवन युक्त	भवनहीन	जर्जर एवं पुर्ननिर्माण योग्य
ग्राम	173	173	173	0	08
नगर	001	001	001	0	00
योग	174	174	174	0	08

		ग्रामीण क्षेत्र	नगर क्षेत्र	योग
8.	मरम्मत योग्य			
	लघु मरम्मत योग्य	18	–	18
	वृहद मरम्मत योग्य	25	–	25
9.	एक कक्षीय विद्यालय	–	–	–
	दो कक्षीय विद्यालय	–	–	–
	तीन कक्षीय विद्यालय	56	–	56
	चार कक्षीय विद्यालय	50	–	50
	पाँच कक्षीय विद्यालय	35	01	36
10.	शौचालय			आवश्यकता
	शौचालय युक्त	159	01	–
	शौचालय विहीन	14	–	14
11.	हैण्ड पम्प			आवश्यकता
	हैण्ड पम्प युक्त	150	01	–
	हैण्ड पम्प विहीन	23	–	23
12.	चहार दीवारी			आवश्यकता
	चहार दीवारी युक्त	40	–	–
	चहार दीवारी विहीन	134	–	134

स्रोत : विभागीय आंकड़े

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में 07 विद्यालय भवन, 02 शौचालय, 02 हैण्ड पम्प तथा 02 चहार दीवारी का निर्माण कराया गया।

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता

चन्दौली जनपद में वर्तमान समय की मांग के अनुसार निम्नांकित भौतिक सुविधाओं में विस्तार की आवश्यकता है। इन कमी एवं आश्वयकता को निम्न सारिणी संख्या 2.10 में दर्शाया जा रहा है:-

सारणी 2.10

क्र.सं.	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग	कमी	11वें वित्त आयोग	शुद्ध मांग
1.	नवीन विद्यालय	50	—	50	28	—	28
2.	विद्यालय पुर्ननिर्माण	29	—	29	08	—	08
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	608	—	608	121	—	121
4.	पेयजल	95	—	95	23	—	23
5.	शौचालय	53	—	53	14	—	14
6.	चाहारदीवारी	658	—	658	134	—	134

स्रोत- विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें वित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (चन्दौली)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997–98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की जाती रही। चन्दौली जनपद वाराणसी का अंग था। शैक्षिक सांख्यिकी संकलित रूप में जनपद वाराणसी के साथ ही तैयार हुई। अतः विभिन्न इण्डीकेटर्स दोनों जनपदों के लिये समान हैं। शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व डी0ई0पी0 परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है –

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
कक्षा 1	100600	91345	100785	102466
कक्षा 2	89566	90850	97019	98044
कक्षा 3	68016	77711	81675	83253
कक्षा 4	52409	58609	66760	71413
कक्षा 5	45135	45197	60128	61253
योग	355726	363712	406367	416429
जी0ई0आर0				
कुल	75.60	75.08	92.62	93.10
बालिका	73.77	74.94	92.6	94.9
एन0ई0आर0				
कुल	75.23	75.02	92.60	92.86
बालिका	73.34	74.95	92.6	94.7

जनपद के नामांकन में औसतन 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे हैं।

बी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :– (जनपद –चन्दौली)

	परियोजना के पूर्व	2000 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	550	800	45
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	3310	4479	35

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 6.4 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये है।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल	बालिका
1998	9.70	13.31	13.99	0.50	33	34
1999	0.50	0.50	1.24	0.50	27	26.6
2000	4.42	3.82	8.42	7.05	22	21.3

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्राप आउट दर 33 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं को ड्राप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1998	—	6.01
1999	1.0	5.07
2000	1.48	5.95

रिपीटीशन दर मात्र 1.48 हैं तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 5.95 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक–छात्र अनुपात वर्ष 2000–01 — 1 : 64

एकल अध्यापिकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000–01 — 6.34

छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात (2000–01) — 1:65

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नामांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र–अध्यापक 1:64 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा–कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:65 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद–चन्दौली

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	9743	8803	7912	26458	-
1999-2000	9718	9468	8411	27597	4.30
2000-2001	11335	9476	8905	29716	8.6

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों नें प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर में मांग पैदा हुई है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिशन दर
1998-1999	20508	9743	-
1999-2000	23751	9718	47%
2000-2001	29294	11335	48%

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा–5 उत्तीर्ण आधे से अधिक बच्चे कक्षा–6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 1993	संख्या 2000	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	147	178	21
उच्च प्राथमिक अध्यापक	1005	1207	20

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय संस्था	उच्च प्रा0 विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि0	योग (3+4)	प्रा0 विद्या उच्च प्रा विद्यालय अनुपात
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण क्षेत्र	792	177	50	227	3.5 : 1
नगर क्षेत्र	8	1	5	6	1.3 : 1
योग	800	178	55	233	3.4:1

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा–5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6–8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1 :3.4 है।

अध्याय 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान सर्वव्यापी, सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राष्ट्र में एक साथ, एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा स्त्री, पुरुष के असमानता तथा समाजिक विषमता को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है। इसमें केन्द्र एवं राज्य के बीच दीर्घकालीन साझेदारी की परिकल्पना की गयी है। इसके निमित्त नवम् पंचवर्षीय योजना में केन्द्र, राज्य का अंशदान 85:15, दशम पंचवर्षीय योजना में 75:25 तथा इसके पश्चात 50:50 की साझेदारी होगी। सामुदायिक सहभागिता तथा वास्तविक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था पर यह अभियान आधारित है। बस्ती को योजना निर्माण की इकाई मानकर विकास खण्ड स्तर तथा जिला स्तर की योजना तैयार करना इसकी अपनी विशेषता है।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनकी सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं / आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं / आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई

- ग्राम मे 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय / अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय / अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय / अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं हैं तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र – अध्यापक अनुपात क्या हैं ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?.
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये

1. परिवार सर्वेक्षण

2. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र

3. सूचनाओं का विश्लेषण

4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक– युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ–साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या

2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या

3. स्त्री–पुरूष की जनसंख्या

4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार–विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण को समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998–99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही

विद्यालय में रखा गया ताकिं इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998–2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकडे एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार – बस्तीवार आंकडों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6–14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6–8 वर्ष तथा 9–14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी है, पैतृक व्यवसाय में माता–पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चें (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारन्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आँकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय–7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजना का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001–2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजेक्ट एक्टीविटीज़) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002–2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा। सूक्ष्म नियोजन आंकड़ों को प्रति वर्ष अद्यतन किया जायगा तथा इनका उपयोग आगानी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के निर्माण के समय ई.जी0एस./ए.आई.ई. कार्यक्रम के निर्धारण मे किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान –

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से जनपद में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। यह अभियान दो चरणों में संचालित किया गया यथा – प्रथम चरण एक जुलाई से 08 जुलाई 2000 तक तथा दूसरा चरण 9 जुलाई से 15 जुलाई 2000 तक संचालित किया गया।

प्रथम चरण –

इस चरण का शुभारम्भ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया। उन्हें स्कूल चलो अभियान में योगदान देने तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण में सहायता करने हेतु उनका आह्वान किया गया। उसी समय विकास खंड स्तर पर ब्लाक/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों तथा नवनिर्वाचित प्रधानों व सदस्यों के माध्यम से स्कूल चलो अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई से 08 जुलाई तक बाल गणना कराई गयी, जिसमें विशेष रूप से उन बच्चों को चिन्हांकित किया गया जो विद्यालय नही जाते हैं।

उक्त अभियान में शासन द्वारा नामित प्रभारी माननीय मंत्री जी द्वारा जनजागरण हेतु निकाली जाने वाली रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व उन्होंने अपने सम्बोधन में बच्चों के विद्यालय में नामांकन बढ़ाने विशेष रूप से सभी बालिकाओं को विद्यालय लाने तथा उनके स्कूल में ठहराव पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जनजागरण का कार्य किया गया ताकि प्रत्येक अभिभावक शिक्षा का महत्व समझ सके और अपने बालक को विशेष रूप से अपनी बालिकाओं को जो विद्यालय के बाहर है स्कूल भेज सके।

इस अभियान के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्राम तथा न्याय पंचायत स्तर पर अध्यापकों, आंगनबाडी, कार्यकत्रियों, बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के बच्चों के चिन्हांकन हेतु एक प्रपत्र दिया गया। इस प्रपत्र को ठीक से भरने हेतु यह निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक पंचायत में हर परिवार से सम्पर्क करके बच्चों का चिन्हांकन करें ताकि यह पता चल सके कि वे विद्यालय में नियमित रूप से जा रहे है अथवा स्कूल से बाहर हैं या किसी कारणवश विद्यालय में जाना छोड़ चुके हैं।

उपरोक्त टीमों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिये विकास खण्ड की सहायक विकास अधिकारियों तथा उनके समकक्ष अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि कोई परिवार स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत आच्छादित

होने से छूट न गया हो। इस प्रकार जनपद के कुल 622 ग्राम सभाओं एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 35 वार्डों के कुल 251388 परिवारों में बालगणना का कार्य किया गया। इसमें 6–14 वय वर्ग के कुल 340353 बच्चे चिन्हित किये गये जिसमें से 6–14 वय वर्ग 241648 बच्चे थे।

द्वितीय चरण–

उपरोक्त सभी चिन्हित बच्चों का विद्यालय में नामांकन किया गया और जिन अभिभावकों के बच्चे विद्यालयों में नहीं जा रहे थे उन्हें विद्यालय भेजने हेतु अनिप्रेरित किया गया। इस कार्य में संकुल प्रभारियों द्वारा पर्यवेक्षण का कार्य किया गया इसी के साथ–साथ समय–समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का गहन भ्रमण किया गया। विद्यालयों के बाहर बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठियाँ की गयीं। ग्राम स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक व्यक्तियों की टीम तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने घर–घर जाकर जनसम्पर्क किया। इसके फलस्वरूप द्वितीय चरण के समाप्त होने तक 6–11 वय वर्गके कुल 215000 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11–14 वय वर्ग के 64593 बच्चों का नामांकन उच्च प्राथमिक स्तर में कराया गया। स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है जिनका नामांकन सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

वय वर्ग	कुल बच्चों की संख्या			विद्यालय में जावे वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जावे वाले बच्चों की संख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6–11 वय वर्ग	110464	98114	208578	115031	99969	215000	29848	11862	41710
11–14 वय वर्ग	65919	54277	120196	39315	25278	64593	14061	20051	34112

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने, विशेषकर बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर दिया जाता है और तद्नुसार अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जाता है जिसके लिए सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा ताकि नामांकित बालिकायें प्राथमिक शिक्षा प्रगति के उपरान्त ही विद्यालय छोड़ें।

जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रकिया :–

इस जनपद के वी.एस.ए. तथा उनके सहकर्मियों की एक नियोजन टीम गठित की गई इस टीम ने इलाहाबाद के सर्वशिक्षा अभियान की योजना तैयार करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया इसके बाद सर्व प्रथम बस्ती को इकाई मानकर ६ से १४ वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बालक–बालिकाओं को चिन्हित किया गया। इसके लिये ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, अभिभावक एवम् अपवन्चित वर्ग के लोगों की बैठक बुलाकर शिक्षा के महत्व को समझाते हुए इन बच्चों के विद्यालय न जाने के कारण अभिज्ञात किये गये। इस अभियान को गतिशीलता प्रदान करने हेतु समयवद्ध सनेकित प्रयासों के अन्तर्गत बस्ती ग्राम न्याय पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों की सहभागिता प्राप्त की गई। ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय अधिकारियों एवम् जनप्रतिनिधियों की वैठक आहूत कर सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार–प्रसार किया गया। जनपद स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवम् जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सांसद/विधायकों की सहभागिता से अभियान/ आन्दोलन के रूप में चलाने हेतु बैठकें आयोजित की गई। विभिन्न समुदायों विशेषकर महिलाओं तथा नौगढ़ एवं नियामताबाद ब्लाक में अपवंचित वर्ग के लोगों से फोकस ग्रुप डिस्कशन किये गये।

इस अभियान को सफल तथा प्रभावी बनाने हेतु सर्वप्रथम बस्ती को इकाई मानकर विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में दिनांक 6.2.2001 को सदर विकास क्षेत्र चन्दौली के सुदूर ग्रामीण अन्चल में अवस्थित ग्राम पंचायत विशुनपुरा के ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उस ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, नागरिक, अभिभावक, तथा अपवाल्वित वर्ग के लोग सम्मिलित हुए। इस बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के महत्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। बैठक में विशेष रूप से बालिकाओं को शिक्षित करने की समस्या उभरकर सामने आयी। समस्या के समाधान हेतु सभी की भागीदारी एवम् सकिय सहयोग की अपेक्षा की गयी। इसी कम में दिनांक 10.2.2001 को जनपद के सबसे पिछड़े पहाड़ी क्षेत्र नौगढ के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बरडाडीह पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। यह गॉव तथा क्षेत्र साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है जहॉ महिलाओं की साक्षरता दर 6 प्रतिशत मात्र है जो अत्यन्त दयनीय है। यहाँ की क्षेत्र पंचायत की महिला सदस्य ने यह मांग किया कि महिला साक्षरता बहुत कम है जो शून्य के बराबर है। इसलिए विशेष ध्यान देकर शिक्षा की स्थिति को उन्नत करने के प्रयास जरूरी हैं। दिनांक 8.2.2001 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, संहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा परियोजना अधिकारियों की बैठक कार्यालय में की गयी। अभियान में पारदर्शिता लाने हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा दिनांक 10.2.2001 को ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में सभी विकासखण्डों पर प्रधानाध्यापकों, शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों की बैठक कर इस अभियान को जन–जन तक पहुँचाने हेतु निर्देशित किया गया।

जनपद स्तर पर दिनांक 13.2.2001 को जिलाधिकारी एवम् मुख्य विकास अधिकारी के साथ समन्वय बैठक की गयी जिसमें जनपद स्तर के प्रशासनिक अधिकारी एवम् शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रतिभाग किये। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस अभियान के सम्बन्ध में शासन एवम् विभाग द्वारा प्राप्त आदेश एवम् निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गयी।

जिलाधिकारी महोदय ने इस अभियान में पारदर्शिता लाने पर विशेष बल दिया तथा निरक्षरता अभिशाप है कहते हुए सभी उपस्थित अधिकारियों को इस पवित्र कार्य में सक्रिय सहयोग करने हेतु निर्देश दिया ।

उपर्युक्त फोकस डिसकन्स कार्यक्रमों के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया में सामुदायिक सहभागिता सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

<u>नियोजन प्रकिया में सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण</u>

तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण	बैठक/विचार-विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
08.02.2001	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	उपबेसिक शिक्षा अधिकारी-1 सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी-07 प्रति उप विद्यालय निरीक्षक-03 परियोजनाधिकारी-05	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवम् उपबेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारी ब्लाक में ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों तथा शिक्षकों की बैठक कर योजना के बारे में बताया जाय तथा कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।
08.02.2001	पू0मा0वि0 विशुनपुरा, चन्दौली	ग्राम प्रधान, उपप्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत गणमान्य नागरिक महिला संगठन. के सदस्य तथा अभिभावक तथा अपवन्चित वर्ग के सदस्य 35	इस अभियान को सरकारी अभियान न मानकर राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया जाय। यह समस्या आयी कि गरीबी के कारण अभिभादक बच्चों को विद्यालय नही भेज पाता है।
10.02.2001	प्रा.वि. वरवाडीह नौगढ़	ग्राम प्रधान उपप्रधान सभी ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक अनुसूचित जाति एंव अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य-30	महिलाओं को साक्षरता का दर बहुत ही कम है। इसे सुधारा जाय।

13.02.2001	विकास भवन चन्दौली	जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी जि.वि.नि. सूचना अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला विकास अधिकारी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी जिल. अर्थ एवं संख्या अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी–15	इस अभियान में पारदर्शिता लाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जाय। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्थल चयन सम्बन्धी बिन्दु उभरकर सामने आये।
17.02.2001	प्रा.वि. सकलडीहा, सकलडीहा	जिला पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक शिक्षक अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के सदस्य–45	1. गुणवत्ता का स्तर अभी भी वांछित स्तर पर नहीं पहुँच पाया है। इस दिशा में सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। 2. विकास खण्ड स्तर पर शिक्षकों का दण्ड पुरस्कार एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व ब्लाक स्तर के अधिकारी को होना चाहिए।
20.02.2001	पूर्व माध्यमिक विद्यालय प. धौरहर (सकलडीहा)	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ग्राम प्रधान वी.डी.सी. सदस्य ग्राम पंचायत सदरय अभिभावक जागरूक नागरिक महिलायें संख्या–37	1. बच्चों को खेल–खेल में प्रभावी शिक्षा दी जानी चाहिए। 2. प्रारम्भिक शिक्षा में सैद्धान्तिक का प्रतिशत कम व्यावहारिक/प्रायोगेक का प्रतिशत ज्यादा रखा जाय। 3. बच्चों का स्वांस्थ्य परीक्षण विधिवत रूप से कराया जाय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का निदान भी किया जाय।
22.02.2001	प्राथमिक विद्यालय सैदूपुर–। शहाबगंज	खण्ड विकास अधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक विकास अधिकारी सांख्यिकी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य जागरूक महिलाएँ शिक्षक संख्या–27	1. महिलाओं की सामाजिक स्थिति विशेषकर अनुसूचित तथा कमजोर वर्ग में निम्न स्तर का है जिससे ग्रामीण बालिकाओं के साथ भेदभाव करते हैं महिला जागरूकता के अन्तर्गत उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किये जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाय। 2. बच्चों को निशुल्क गणवेश की व्यवस्था की जानी चाहिए विशेषकर बालिकायें तथा कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु।

23.02.2001	पू.मा.वि. सहजौर (नियामतावाद)	खण्ड विकास अधिकारी उप बेसिक शिक्षाधिकारी स.बे. शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक संकुल प्रभारी ग्राम प्रधान अभिभावक तथा पिछड़े वर्ग के नागरिक संख्या–28	1. अध्यापकों की कमी 2. नीरस शिक्षण विधि 3. आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग अपनी बच्चियों को विद्यालय नही भेज पाते हैं तथा जो अभिभावक अपने बच्चियों को विद्यालय भेजते हैं तो बीच में पढ़ाई छुड़ा देते हैं जिसके फलस्वरूप नामांकन तथा ठहराव दोनो पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
24.02.2001	पू0मा0वि0 वरहनी (बरहनी)	जिला बेसिक शिक्षाधिकारी सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी समन्यवक सह समन्वयक प्रधानाध्यापक स.अ. ग्राम प्रधान बी. डी.सी. सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य अभिभावक–संख्या–34	1. अध्यापकों का ठहराव एक विद्यालय में तीन वर्ष से अधिक तथा एक विकास खण्ड में 7 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। 2. अध्यापकों को शिक्षण कार्य में लापरवाही करने पर जिम्मेवार ठहराना चाहिये। 3. अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नही लेना चाहिए।
26.02.2001	प्राथमिक विद्यालय चहनिया, चहनिया	ब्लाक प्रमुख खण्ड विकास अधिकारी, स.वे. शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य शिक्षक, ग्राम प्रधान सदस्य ग्राम पंचायत, तथा अभिभावक–संख्या–27	1. प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 2. भवन निर्माण का कार्य अध्यापकों से न कराया जाय। 3. निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण समय से कराया जाय। 4. पाठ्यक्रम की जानकारी का अभाव।

सोशल एसेसमेन्ट स्टडी :

आरम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में आने वाली सामाजिक बाधायें अभिज्ञात करने के उद्देश्य से भदोही में सोशल एसेसमेन्ट स्टडी सम्पादित की गई थी जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :

1. अनाकर्षक विद्यालय वातावरण : विद्यालयों का वातावरण आकर्षणयुक्त बनाने की आवश्यकता है। चहारदिवारी, पुष्पवाटिका, शौचालय, हैण्डपंप का होना आवश्यक है।

2. अपर्याप्त एवं योग्य शिक्षकों का अभाव : अधिकांश विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक कार्यरत नहीं है और जो अध्यापक कार्यरत हैं, वे दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने के कारण शैक्षिक विद्या का कक्षा में सही ढगं से प्रयोग नहीं कर पाते।

3. परम्परागत शिक्षण विधियों का प्रयोग : अध्यापक अब भी नयी विधियों का प्रयोग न करके पुरानी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं।

4. निरीक्षण प्रणाली का असहयोगात्मक रूख : निरीक्षक वर्ग के अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रह के कारण विधिवत नहीं किया जाता जिससे गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता।

5. विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव है।

6. समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपने बच्चों को विद्यालय में न भेजकर घर के कार्यों में लगाये रखते हैं।

7. जनपद भदोही, कालीन उद्योग का प्रमुख केन्द्र है। अधिकांश बच्चे धनोपार्जन हेतु इस उद्योग में काम करते हैं और विद्यालय नहीं जा पाते।

8. वर्ण एवं जातीयव्यवस्था : समाज में वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद के कारण कतिपय लोग अपने बच्चे को विद्यालय में भेजना उचित नहीं समझते हैं।

9. पुरूष सत्तायुक्त समाज : पुरूष सत्तायुक्त समाज होने के कारण समाज में महिलाओं को शिक्षित होना आवश्यक नहीं समझा जाता। केवल घर के कार्यों में महिलाओं को दक्ष बनाना परम्परा सी बन गयी है।

उपरोक्त स्टडी से निकले निष्कर्षों में से अधिकांश जनपद चन्दौली में भी लागू होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई गई रणनीति तथा कार्यक्रम तैयार करते समय उपरोक्त विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है–

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है–

1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
4- केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र–छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने–जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु क्रमशः 300/– व 480/– प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र–छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र–छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्रो से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की कीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/– प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1–8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक–बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षो में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.55 % है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1

प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – चन्दौली

वर्ष	6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	128271	116056	244327	105182	95166	200348	82
2001-02	131542	119015	250557	121019	109494	230513	92
2002-03	134896	122050	256947	137594	124491	262085	102
2003-04	138336	125163	263499	149403	135176	284579	108
2004-05	141864	128354	270218	158887	143757	302644	112
2005-06	145481	131627	277108	167303	151371	318675	115
2006-07	149191	134984	284175	174553	157931	332484	117
2007-08	152995	138426	291421	182064	164727	346791	119
2008-09	156897	141956	298852	188276	170347	358623	120
2009-10	160898	145576	306473	193077	174691	367768	120

सारिणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद – चन्दौली

वर्ष	11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			नामाकंन			जी०ई०आर०
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
2000-01	53375	48291	101666	37363	33804	71166	70
2001-02	54736	49522	104258	41599	37637	79236	76
2002-03	56132	50785	106917	46028	41644	87672	82
2003-04	57563	52080	109643	50656	45831	96485	88
2004-05	59031	53408	112439	55489	50204	105693	94
2005-06	60536	54770	115307	60536	54770	115307	100
2006-07	62080	56167	118247	63942	57852	121794	103
2007-08	63663	57599	121262	67483	61055	128538	106
2008-09	65286	59068	124354	70509	63793	134303	108
2009-10	66951	60574	127525	73646	66632	140278	110

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर 'ड्राप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत है-

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000-01	22	10
2001-02	18	9
2002-03	14	8
2003-04	11	7
2004-05	8	6
2005-06	5	5
2006-07	2	4
2007-08	0	3
2008-09	0	2
2009-10	0	0

परियोजना कियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्राप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय–5

समस्यायें एवम् रणनीतियाँ

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुए अपनायी गयी। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गो, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि में समूह चर्चा की गयी, जिनके आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें एवं मुद्दे निम्नवत् उभरकर सामने आयें। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी जाने वाली रणनीति भी इंगित की जा रही है।

समस्यायें / मुद्दे	रणनीति
शिक्षा की पहुँच सम्बन्धी	
बस्ती से विद्यालय का दूर होना।	एक कि0मी0 की परिधि से अधिक दूरी के बस्तियों को चिन्हित कर शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोले जायेगें।
बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव न रहना।	सामाजिक बन्धन के कारण अभिभावक अपनी बालिकाओं को बालकों के साथ विद्यालय भेजना नहीं चाहते और वे बीच में पढ़ायी छोड़ देती हैं। इसके निमित्त सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जायेगी।
प्राकृतिक बाधाओं जैसे नदी, नाला, रेलवे लाइन के नजदीक होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं।	जिन बस्तियों से सटे नदी, नाले एवम् रेलवे लाइन हैं ऐसी प्राकृतिक बाधाओं की भय से अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। ऐसी बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जायेंगे।

अध्यापक की कमी	इस विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चे अपना दाखिला नही ले पाते हैं इसके लिए इस योजना में शिक्षा मित्र देने की व्यवस्था की गयी है।
उपस्कर की कमी	विद्यालयों में प्रायः साज सज्जा की कमी के कारण विद्यालय आकर्षक नही हो पाता है इस कारण से भी अभिभावक बच्चों का नामांकन नही कराते है। इसके तहत सर्व शिक्षा योजनान्तर्गत पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने की व्यवस्था की गयी है।
नामांकन की दृष्टि से बालिकाएं बालकों की तुलना में बहुत पीछे है	किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की बालिका शिक्षा से बहुत प्रभावित होती है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत् प्रतिशत करने के साथसभी वर्ग की शत प्रतिश बालिकाओं का नामांकन भी करना है। इसलिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान की जायगी। इसको दृष्टि गत रखते हुए बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये जायेगें। इनमें शिशु शिक्षा केन्द्र भी खोले जायेगें।
<u>ठहराव सम्बन्धी</u>	
बालिकाओं का ठहराव विद्यालय में कम होना	बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी। शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक प्रा०वि० एवं उच्च प्रा० वि० में कम से कम ५० प्रतिशत महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।
आर्थिक विपन्नता	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक नही रोक पाते है तथा बीच में विद्यालय छोड़ने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे बच्चो हेतु वृजकोर्स की व्यवस्था की गयी है। अपने बच्चों को विद्यालय से पूरे समय तक नही रोक पाते हैं तथा बीच में विद्यालय छोड़ने को बाध्य हो जाते है। ऐसे बच्चों हेतु बृजकोर्स की व्यवस्था की गयी है।

रूढ़िवादिता	६–१४ वयवर्ग की बालिकायें जो गाँव की रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण बालकों के साथ विद्यालयों में नहीं पढ़ना चाहती उनके लिए पृथक नवाचार केन्द्र खोले जायेंगे तथा कार्यानुभव कार्यक्रम चलाये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।
<u>गुणवत्ता सम्बन्धी</u>	
अध्यापकों का पढ़ाने में विशेष रूचि न लेना	अध्यापक प्रशिक्षण तथा अभिप्रेरण के माध्यम से नई शिक्षण विधियों को लागू किया जायेगा।
सतत् मूल्यांकन का एवम् दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली	गुणवत्ता में सुधार हेतु बच्चों द्वारा किया गया पाठन कार्य का सतत मुल्यांकन किया जायेगा।
<u>संस्थागत क्षमताओं सम्बन्धी</u>	
ग्राम शिक्षा समितियों का संवेदनशील न होना	समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालक बालिकाओं की शिक्षा हेतु सम्वेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगें। जनपद के अत्यन्त पिछड़े एवम् सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास खण्डों न्याय पंचायतों में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माडल क्लस्टर विकास कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।
सामुदायिक सहभागिता का अभाव	न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों, अभिभावकों महिला मण्डल केसदस्यों की बैठक आयोजित कर सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
सम्वादहीनता	सम्वादहीनता के फलस्वरूप सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचल में शिक्षा का प्रचार–प्रसार नही हो पाता। इसके लिए ६–१४ वयवर्ग के समस्त बालिकाओं को विद्यालय में लाने हेतु ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-11482
DOC, No.
Date 09-07-2002.

अध्याय–६

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (१) नवीन औपचारिक विद्यालय :

नवीन विद्यालयों की स्थापनाः

जनपद चन्दौली में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत माईक्रोप्लानिंग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप ३०० से अधिक आवादी युक्त बस्ती तथा १.५ किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित असेवित बस्तियों में १३१ प्राथमिक विद्यालय, ८०० से अधिक आवादी युक्त बस्ती तथा ३.०० किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित असेवित बस्तियों में ३५ उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना की समाप्ति के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्र की सुदूर अंचल में जनसंख्या बृद्धि के फलस्वरूप १९९१ की जनगणना के आधारभूत आंकड़ों पर अपनाये गये मानक में परिवर्तन आया हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ग्रामों के साथ साथ बस्तियों को दृष्टिगत रखकर कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव है। ग्राम शिक्षा योजना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पहुंच के विस्तार के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 5 नवीन प्राथमिक विद्यालय असेवित बस्तियों में बस्तियों में स्थापित किये जाने का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान को जन–जन तक पहुँचाने के लिए अपवन्चित वर्ग, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक बाहुल्य असेवित, बस्तियों को चिन्हित किया गया। ऐसी ५० चिन्हित असेवित बस्तियों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	नवीन प्राथमिक विद्यालय की संख्या	बस्तियों की संख्या
१.	चन्दौली	०८	०८
२.	नियमताबाद	०६	०६
३.	बरहनी	०५	०५
४.	सकलडीहा	०६	०६
५.	धानापुर	०१	०१
६.	चहनिया	०६	०६
७.	चकिया	०७	०७
८.	शहाबगंज	०५	०५
९.	नौगढ	०६	०६
१०.	मुगलसराय (नगर पालिका)	–	–
	योगः	५०	५०

श्रोतः स्कूल मैपिंग एण्ड माइक्रो प्लानिंग

इन प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था होगी। इस प्रकार 50 अध्यापक एवं 50 शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी।

इन 50 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री हेतु 5000/– प्रति विद्यालय की दर से धन उपलब्ध कराया जायेगा।

50 नवीन प्राथमिक विद्यालयों में काष्ठोपकरण तथा उपष्कर की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय भवन शौचालय, हैण्ड पम्प एवं चहारदीवारी युक्त होंगे।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना –

मानक के अनुसार 800 की आबादी 3 किमी से अधिक दूरी वाले 28 असेवित बस्तियों/ग्रामों में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है। सर्वशिक्षा अभियान में प्रति 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। अतः चन्दौली जिले में सारणी 2.6 के अनुसार कुल 248 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। वर्ष 2002-2007 की अवधि में 50 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की वित्तीय प्राविधान रखा गया है, जो मा के अनुसार असेवित बस्तियों, जिनमें कक्षा 5 उत्तीर्ण कम से कम 25 बच्चे उपलब्ध हो, में खोले जायेंगे।

वर्तमान में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	792
नवीन प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	50
कुल प्राथमिक विद्यालय	842
1:2 के अनुपात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	421
उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	173
नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	248

उपरोक्त गणना में नगर क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है। चूँकि वहाँ नये उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुये की जायेगी। जिससे प्राथमिक विद्यालय में उत्पन्न भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता –

परियोजना द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार नवीन स्थापित 248 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक व 4 सहायक अध्यापक के पद होंगे। इस प्रकार 248 प्रधानाध्यापक तथा 992 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी।

जनपद में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता/कमी विकास खण्ड/ नगर क्षेत्रवार विवरण

सारणी संख्या 6.1

क्रम	विकास खण्ड का नाम	आइटम/सुविधा का नाम									
		विद्यालय का पुर्ननिर्माण		पेयजल		शौचालय		चहारदीवारी		अतिरिक्त कक्षा कक्ष	
		पुर्ननिर्माण प्रा0वि0	पुर्ननिर्माण उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0	प्रा0वि0	उ0प्रा0वि0
1.	चन्दौली	2	-	7	3	-	-	77	16	55	15
2.	नियामताबाद	-	1	7	3	3	1	75	12	41	10
3.	बरहनी	2	2	4	-	11	1	75	12	44	10
4.	सकलडीहा	1	-	7	-	3	1	75	12	10	5
5.	धानापुर	10	2	18	4	3	-	80	22	20	5
6.	चहनिया	1	-	20	5	15	5	15	16	4	6
7.	चकिया	8	2	11	5	11	5	70	18	9	7
8.	शहाबगंज	2	-	10	2	-	-	67	16	28	5
9.	नौगढ़	3	1	8	-	4	-	51	11	13	10
10.	न0पा0 मुगलसराय	-	-	3	1	3	1	-	-	-	-
	सम्पूर्ण योग	**29**	**08**	**95**	**23**	**53**	**14**	**658**	**134**	**224**	**73**

उपरोक्त आधार पर 29 प्रा0वि0 एवं 08 उ0प्रा0वि0 का भवन जर्जर है जिनके पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है साथ ही 95 प्रा0वि0 एवं 23 उ0प्रा0वि0 में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव है। 53 प्रा0वि0 एवं 14 उ0प्रा0वि0 में शौचालय की आवश्यकता है तथा 658 प्रा0वि0 एवं 134 उ0प्रा0वि0 में चहारदीवारी की आवश्यकता है एवं 224 प्रा0वि0 तथा 73 उ0प्रा0वि0 में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता है।

जन पद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता तथा विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण कराया जायगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु रुपये दो लाख प्रति वर्ष का वित्तीय प्राविधान किया जायगा।

सारणी 6.2

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता

वर्ष	परिषदीय विद्यालयों का नामांकन	ड्राप आउट दर	प्रभावी परिषदीय नामांकन	1:40 पर शिक्षकों की आवश्यकता	कुल पर सृजित पद	अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता		
						शिक्षक	शिक्षा मित्र	कुल योग
2001-2002	189668	20	151734	3793	3519	137	137	274
2002-2003	209993	15	178494	4465	3793	335	334	669
2003-2004	214612	10	193150	4828	4462	183	183	366
2004-2005	218904	5	207958	5198	4828	185	185	370
2005-2006	223282		223282	5582	5198	192	192	384
2006-2007	227748		227748	5694	5582	56	56	112
2007-2008	232302		232302	5807	5694	57	56	113
2008-2009	236948		236948	5923	5897	58	58	116
2009-2010	241686		241686	6042	5923	60	59	119

स्रोत : विभागीय आंकड़

सारणी 6.3

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण (प्राथमिक स्तर)

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
2001-2002	109719	39100	148819
2002-2003	121477	43745	165222
2003-2004	124162	44703	168865
2004-2005	126640	45682	172322
2005-2006	129167	46688	175855
2006-2007	131761	47715	179476
2007-2008	13439	48765	183158
2008-2009	137077	49743	186820
2009-2010	139815	50734	190549
	1104211	**416875**	**1521086**

स्रोत : विभागीय आंकड़े

सारणी 6.4

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
2001-2002	30595	12583	43178
2002-2003	35983	13718	49701
2003-2004	39678	14895	54573
2004-2005	43519	16119	59638
2005-2006	47509	17389	64898
2006-2007	52692	19081	71773
2007-2008	53867	19460	73327
2008-2009	54945	19851	74796
2009-2010	56043	20245	76288
	414831	**153341**	**568172**

स्रोत : विभागीय आंकड़े

शैक्षिक सुविधाओं हेतु सर्वेक्षण :

जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता तथा विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु प्रति वर्ष एक त्वरित सर्वेक्षण कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण हेतु रु0 2 लाख प्रति वर्ष का वित्तीय प्राविधान किया जायेगा।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकडों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्वन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय – ७

शिक्षा के पहुँच का विस्तार

शिक्षा गारन्टी योजना / वैकल्पिक शिक्षा / नवाचार शिक्षा योजना

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को दिनांक ३१/०३/२००९ को समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक १/०४/२००१ से नवीन परिवर्तित योजना ई.जी.एस./ए.आई.ई. चालू करने का निर्णय लिया जा चुका है।

ई०जी०एस०/ए०आई०ई० कार्यक्रम का लक्ष्य समूह ६–१४ वय वर्ग के बच्चें होगे। विकलांग बच्चों के लिए यह आयु १८ वर्ष तक होगी। इस योजना का लक्ष्य समूह ६–१४ वय वर्ग के वंचित बच्चें जो औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नहीं जा पा रहे अथवा ड्राप आउट हो रहे हैं, होगें।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।

१. शिक्षा गारण्टी योजना
२. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र
३. ग्रीष्मकालीन शिविर / ब्रिज कोर्स

७.१ शिक्षा गारन्टी योजना :

सर्व शिक्षा अभियान में ऐसी असेवित बस्तियों में जहाँ १ कि०मी० की परिधि में विद्यालय नहीं हैं ६–८ वय वर्ग के ३० बच्चों की उपलब्धता पर कक्षा १ व २ के लिए ई०जी०एस० केन्द्र (शिक्षा गारन्टी योजना) खोले जायेंगे। इस केन्द्र के कार्यरत आचार्य को केन्द्र के उत्तीर्ण छात्र/छात्रा का प्रवेश औपचारिक विद्यालय में कराना आवश्यक होगा यह प्रवेश किसी भी समय विद्यालय में कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन केन्द्रों का नियोजन जनपद की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया गया है।

उक्त योजना के तहत जनपद चन्दौली के ग्रामीण आंचल में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर असेवित बस्तियों से १ कि०मी० की परिधि में विद्यालय न होने की स्थिति में कुल ६० शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इन केन्द्रों का प्रस्ताव पूर्ण रूप से उन बस्तियों में किया गया है जहाँ कक्षा १ और २ के लिए ३० बच्चों की उपलब्धता रहेगी। इन केन्द्रों में कुछ दूरी एवं कुछ प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण ६–८ वय वर्ग के बच्चों की पहुँच औपचारिक विद्यालयों में नहीं हो पा रही है, जिससे यह बच्चें शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे है।

७.२ वैकल्पिक शिक्षा योजना :

जनपद में ५० प्राथमिक तथा २४८ पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोलने के बाद ही कुछ बस्तियाँ शेष रह जायेगी। जो पहुँच की सीमा से बाहर होगी। इसके अतिरिक्त कुछ कामकाजी बच्चे घुमन्तू बच्चे सचल परिवारों के बच्चे एवं विकलांग बच्चे शेष रह जायेंगे। जिसके लिये शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक होगी। इस जनपद के अन्तर्गत मुगलसराय में देश भर से घुमन्तू बच्चे वर्ष भर आते रहते हैं जो होटलों अथवा दुकान

पर कार्य करते हैं अथवा अपराधी तत्वों के साथ होकर छोटे–मोटे अपराध में लिप्त हो जाते हैं। काम की तलाश में आने वाले व्यक्तियों के परिवारों के बच्चे भी सड़कों एवं बस स्टेशनों अथवा रेलवे स्टेशनों पर भीख माँगने, जूता पालिस, करने नकली बेचने आदि कार्यों में लिप्त है तथा बाद में इस प्रकार के बच्चें बड़े होने पर अपराधी प्रकृति के हो जाते हैं, जो समाज के लिए कष्ट कारक बन जाते हैं।

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने से मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें विशेष कर बालिकायें कालकाजी तथा बालश्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवा चार शिक्षा केन्द्रों, अल्पकालीन, ग्रीष्मकालीन शिविरों तथा दीर्घकालीन शिविरों, ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मकतबों/मदर्सों में बालक/बालिकाओं की गुणवत्ता परख शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्यों से इनके क्षेत्रों में भी ए०आई०ई० योजना की व्यवस्था जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की जायेगी।

मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों, मलीन बस्तियों एवं बाल श्रमिकों से अच्छादित स्थलों जहाँ पर ६–१४ वय वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम २० बच्चें उपलब्ध होंगे, वहाँ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें। इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय कराया जा सकता है। इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई पूर्ण कर औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा की किसी विद्यालय में उपयुक्त कक्षा से किसी भी समय में प्रवेश कराया जा सकेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निकट के प्राथमिक/पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्याकों द्वारा प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जायेगी। यह इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि केन्द्र की शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र पुनः अपने पुराने परिवेश पें वापस न हो जाय।

सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में ३७ वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना प्रस्तावित है। चन्दौली में कालीन एवं साड़ी बनाने के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ६–१४ वय वर्ग के बच्चें इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण औपचारिक विद्यालय में अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं। इसी प्रकार ईंट के भट्ठे पर कार्य करने वाले माता–पिता के बच्चें पूरे वर्ष एक ही स्थान पर निवास न कर पाने के कारण अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाते हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे,मुख्यतः बालिकायें अपने परिवेश के कारण एवं परिवार समय में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। ऐसे बच्चों की कठिनाई को रखते हुए इन केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त केन्द्रों की संचालन अवधि ४ घण्टे दिन के समय होंगी। यथा सम्भव स्थानीय व्यक्ति द्वारा शिक्षण कार्य सम्पादित कराया जायेगा और रू. १०००/– प्रतिमाह के मानदेय पर संविदा पर रखें जायेगे। इन अनुदेशकों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व ३० दिन प्रतिवर्ष पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी हैं तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित एवं संवेदित करने हेतु मण्डल/जनपद स्तर पर विभिन्न कार्यशालाओं की व्यवस्था की जायेगी।

उक्त केन्द्रों का प्रस्ताव जनपद में कराये गई माइक्रोप्लानिंग के आधार पर की जायेगी । जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है –:

सारणी– ७.१

क्रमशः	क्षेत्र पंचायत का नाम	शिक्षण गारन्टी योजना	वैकल्पिक शिक्षा	ग्रीष्म कालीन शिक्षा / बृज कोर्स
१.	चन्दौली	१५	०६	०१
२.	नियामतबाद	०३	०१	०१
३.	बरहनी	०६	०६	०१
४.	सकलडीहा	०६	०५	०१
५.	धानापुर	०६	०२	०१
६.	चहनिया	०५	०५	०१
७.	चकिया	०५	०५	०१
८.	शहाबगंज	०७	०३	०१
९.	नौगढ़	०४	०३	०१
१०.	न० प० मुगलसराय	----	०१	०१
	योग	६०	३७	१०

स्रोत : माइकोप्लानिंग सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े।

७.३ नवाचार शिक्षा योजना ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर

सड़क, प्लेटफार्म मलीन बस्तियों, दूकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशा, कुलीगिरी, कूड़ा बीनने वाले बच्चों तथा ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक जेल में निरूद्ध है, अथवा बालश्रमिक जिनका वय वर्ग सामान्यतः ६–१४ वर्ष है के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए प्रत्येक विकास क्षेत्र में एक–एक तथा नगर निगम में तीन ग्रीष्म कालीन शिक्षा/ब्रिज कोर्स की स्थापना का प्रस्ताव है।

इन शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार ४ माह से १८ माह तक की हो सकती है। इसमें बच्चों की निर्धारित संख्या ५० होगी तथा यह शिविर पूर्णतः आवासी होगे। इन शिविरों में बच्चों को रहने खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानकों के अन्तर्गत इस शिविर के लिए १ केयर टेकर, २ पैरा टीचर, १ रसोईयां एवं १ चौकीदार की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन शिविरों का निर्धारण भी माइकोप्लानिंग के आधार पर प्रस्तावित है।

७.४ माइकोप्लानिंग सर्वेक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माइकोप्लानिंग सर्वेक्षण कराकर इस आंकड़े को २००१–२००२ में अद्यतन किया जायेगा, यह सर्वेक्षण ग्रामीण क्षेत्र की सभी बस्तियों एवं नगरीय क्षेत्र (खास कर मलीन बस्तियों) में कराया जायेगा ताकि स्कूल से बाहर रहने वाले ६–१४ आयु वर्ग के बच्चों व उनके स्कूल न आने के कारणों को सही रूप से चिन्हित किया जा सके। यह सर्वेक्षण इसलिए किया जाना नितान्त आवश्यक है कि २००२–२००३ के बाद जैसे–जैसे परियोजना उत्तरोत्तर विकास पर होगी, ई.जी.एस./ए.आई.ई. कार्यक्रमों को बच्चों के अभीष्ट वर्ग/चिन्हित समूहों पर किया जा सकेगा।

सर्वेक्षण : ग्रामीण / नगरक्षेत्र

सर्व शिक्षा अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के ब्लाक संदर्भ केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षकों द्वारा की गई माइक्रोप्लानिंग सर्वे द्वारा सुलभ एवं उपलब्ध शैक्षिक ऑकड़ों का शैक्षिक–सुविधा–विस्तार के कम मे अध्ययन जनपद के विकास खण्डों के अनौपचारिक शिक्षा के परियोजनाधिकारियों एवं बेसिक शिक्षा के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कराया गया। इसके अलावा इन अधिकारियों के द्वारा अपने–अपने विकास क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, न्यायपंचायत तथा विकासखण्ड स्तरों पर स्थानीय अनिनावकों, ग्रामप्रधानों, जनप्रतिनिधियों ग्राम शिक्षा समितियों के सचिवों की बैठके आयोजित कर प्राथमिक शिक्षा को समाज के प्रत्येक समुदाय/वर्ग के बच्चों के लिए सर्व–सुलभ करने की दृष्टि से इसके विस्तार एवं पहुँच के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। समुदाय के लोगों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच से यह विचार उभर कर आये कि गॉवों/नगरों की जो वस्तियॉ अब भी बच्चों की पहुँच से निकटतम प्राथमिक स्कूल के 1 कि0मी0 की परिधि से बाहर हैं वहॉ 6–8 वयवर्ग के बच्चों के लिए ई0जी0एस0 केन्द्र खोल कर बच्चें जो प्राथमिक स्कूल में नही जा पा रहे हैं उनको उनकी वस्ती में ही कक्षा 1, 2 के स्तर की शिक्षा दे दी जाय जिससे वे कक्षा 3–5 की शिक्षा निकटतम प्राइमरी स्कूल तक पहुँच कर अवश्य प्राप्त कर सकें। सम्प्रति ऐसी वस्तियॉ जहॉ 6–8 वयवर्ग के न पढ़ने वाले कम से कम 30 बच्चे उपलब्ध हैं, चिन्हांकित की गई। इसी प्रकार 9:14 वयवर्ग के किसी भी अपवंचित श्रेणी के बच्चों की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा उनकी वस्ती में ही वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (ए0आई0ई0) स्थापित कर उन्हें उनके शैक्षिक स्तर के अनुरूप इन केन्द्रों में प्रवेश प्रदान कर शिक्षा दिया जाय और इन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़कर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जाय। जिससे 'सर्व शिक्षा अभियान' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और सन् 2003 तक में कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश पाने से किसी भी स्तर पर शेष न रह जाय। इस प्रकार इस लक्ष्य के प्राप्ति की दिशा में माइक्रोप्लानिंग आंकड़ों, स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम शिक्षा समितियों, से विचार–विमर्श एवं मंथन के उपरान्त ऐसी वस्तियॉ चिन्हांकित की गई। यहॉ ई0जी0एस0 के अन्तर्गत विद्या केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र (ए0आई0ई0) की स्थापना के लिए जनपद के विभिन्न विकासखण्डों से प्रस्ताव प्राप्त है। माइक्रोप्लानिंग आधारित सर्वेक्षण सूचनाओं के अनुसार 31.12.2000 की स्थिति के अनुसार स्कूलन जानेवाले बच्चों के जनपद की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

EGS/A.I.E. योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–1:

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 183193 बालिका 157160 योग: 340353

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	48453	–	73994	16398	25905	164750
बालिका	36467	–	63951	14249	18762	133429
योग :	**84920**	–	**137945**	30647	**44667**	298179

जनपद में :–

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	2157	–	2157	231	841	5396
बालिका	1858	–	1887	246	668	4659
योग :	**4015**	–	**4054**	**477**	**1509**	10055

(4) 9–14 वर्ष के जनपद में स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	08	–	12	25	–	45
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	**08**	–	12	**25**	–	45

जनपद में घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	96	–	71	12	08	187
बालिका	15	–	07	04	02	28
योग :	**111**	**–**	**78**	**16**	**10**	**215**

जनपद में काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	5144	–	3903	1250	2452	12719
बालिका	7792	–	5644	1748	3608	18794
योग :	**12906**	**–**	**9549**	**2998**	**6060**	**31513**

जनपद में सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	40	–	24	–	08	72
बालिका	26	–	07	–	–	33
योग :	**66**	**–**	**31**	**–**	**08**	**105**

जनपद में विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	385	–	176	49	71	681
बालिका	117	–	135	39	24	315
योग :	502	–	311	88	95	996

उपर्युक्त तालिकाएँ पूरे जनपद की स्थिति को दर्शाती है। प्रत्येक ब्लाक की स्थिति आगे विकास खण्डवारदी गई सारिणियों से स्पष्ट होती है ।

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थिति (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम :, चन्दौली, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 20243 बालिका 17975 योग :– 38218

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	6425	–	8642	1881	2921	19869
बालिका	4479	–	6667	1417	2743	15306
योग :	10904	–	15309	3298	5664	35175

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	48	–	36	08	15	107
बालिका	120	–	90	42	41	293
योग :	168	–	126	50	56	400

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	13	–	09	03	01	26
बालिका	02	–	01	01	–	04
योग :	15	–	10	04	01	30

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	82	–	88	34	38	242
बालिका	1158	–	720	210	251	2339
योग :	1240	–	808	244	289	2581

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	06	–	04	–	01	11
बालिका	04	–	01	–	–	05
योग :	10	–	05	–	01	16

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	39	–	16	01	04	60
बालिका	19	–	12	02	06	39
योग :	58	–	28	03	10	99

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : नियमताबाद, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 20975 बालिका 18986 योग :– 39961

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	5191	–	9805	2739	1160	18895
बालिका	4295	–	8827	2512	1239	16873
योग :–	9486	–	18632	5251	2399	35768

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई०जी०एस० केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	30	–	34	06	10	80
बालिका	32	–	28	05	09	74
योग :–	62	–	62	11	19	154

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए०आई०ई० केन्द्रों के उपयोग हेतु) बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	795	–	596	199	397	1987
बालिका	812	–	609	204	406	2031
योग :–	1607	–	1205	403	803	4018

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग. बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	28	—	13	01	10	52
बालिका	04	—	10	01	01	16
योग :	32	—	23	02	11	68

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : बरहनी, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 18973 बालिका 16332 योग : 35305

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	4376	—	7085	1322	4425	17208
बालिका	3360	—	6177	1119	3241	13897
योग :	7736	—	13262	2441	7666	31105

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	201	–	229	21	70	521
बालिका	80	–	100	06	18	204
योग :	281	–	329	27	88	725

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	15	–	13	02	02	32
बालिका	03	–	01	01	–	05
योग :	18	–	14	03	02	37

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	522	–	433	89	160	1204
बालिका	926	–	645	110	503	2184
योग :	1448	–	1078	199	663	3388

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	04	–	04	–	02	10
बालिका	03	–	01	–	–	04
योग :	07	–	05	–	02	14

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	95	–	33	02	25	155
बालिका	20	–	25	05	04	54
योग :	115	–	58	07	29	209

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : सकलडीहा, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 24056 बालिका 21598 योग :– 45654

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछडी जाति	अल्पसख्यक	अन्य	योग
बालक	8082	–	10260	1604	2995	22941
बालिका	6466	–	8904	1264	2576	19210
योग :–	14548	–	19164	2868	5571	42151

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछडी जाति	अल्पसख्यक	अन्य	योग
बालक	82	–	88	26	16	212
बालिका	164	–	288	34	46	532
योग :–	246	–	376	60	62	744

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	347	–	260	87	173	867
बालिका	733	–	550	183	366	1832
योग :	1080	–	810	270	539	2699

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	25	–	26	06	04	61
बालिका	12	–	13	03	01	29
योग :	37	–	39	09	05	90

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : धानापुर, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या

बालक 21992 बालिका 19277 योग :– 41229

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	5781	–	8434	1655	3815	19585
बालिका	4400	–	7796	1655	2670	16721
योग :–	10181	–	16230	3510	6485	36308

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई०जी०एस० केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	382	–	391	70	148	991
बालिका	167	–	180	30	90	467
योग :–	549	–	571	100	238	1458

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	505	–	379	126	253	1263
बालिका	795	–	596	199	397	1987
योग :–	1300	–	975	325	650	3250

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	67	–	29	17	10	123
बालिका	30	–	45	20	07	102
योग :–	97	–	74	37	17	225

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न जाने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : चहनियाँ, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 25696 बालिका 21281 योग :– 46977

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	3303	–	12652	2420	6038	24463
बालिका	3009	–	11622	1569	3158	19358
योग :–	6312	–	24274	3989	9246	43821

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	45	–	51	10	30	136
बालिका	130	–	142	24	90	386
योग :–	175	–	193	34	120	522

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	422	–	317	105	211	1055
बालिका	605	–	454	151	303	1513
योग :–	1027	–	771	256	514	2568

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	35	–	25	03	07	70
बालिका	08	–	09	02	05	24
योग :–	43	–	34	05	12	94

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : चकिया, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की सख्या –

बालक 16247 बालिका 12721 योग :– 28968

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	4788	–	6062	1246	1565	13661
बालिका	3363	–	5020	994	493	9870
योग :–	8151	–	11082	2240	2058	23531

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	310	–	290	18	101	719
बालिका	285	–	260	23	110	698
योग :–	595	–	570	41	211	1417

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	16	–	18	02	01	37
बालिका	02	–	01	–	–	03
योग :–	18	–	19	02	01	40

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	745	–	559	186	372	1862
बालिका	861	–	646	215	431	2153
योग :–	1606	–	1205	401	803	4015

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	05	–	04	–	02	11
बालिका	01	–	01	–	–	02
योग :–	06	–	05	–	02	13

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	33	–	12	01	03	49
बालिका	–	–	10	00	–	10
योग :–	33	–	22	01	03	59

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र :)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : शहाबगंज, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 15995 बालिका 1346 योग :– 29455

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछडी जाते	अल्पसख्यक	अन्य	योग
बालक	4551	–	5160	1604	1411	12726
बालिका	2830	–	4897	1393	1517	10636
योग :–	7381	–	10057	2997	2928	23363

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछडी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	490	–	530	27	408	1455
बालिका	340	–	348	37	223	948
योग :–	830	–	878	64	631	2403

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	726	–	545	181	362	1814
बालिका	750	–	563	188	374	1875
योग :–	1476	–	1108	369	736	3689

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	15	–	05	–	02	22
बालिका	–	–	05	–	–	05
योग :–	15	–	10	–	02	27

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित. (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : नौगढ़, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 9217 बालिका 7746 योग :– 16963

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	3384	–	2516	596	425	6921
बालिका	2381	–	1890	508	411	5190
योग :–	5765	–	4406	1104	836	12111

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	566	–	515	43	41	1165
बालिका	538	–	429	44	38	1049
योग :–	1104	–	944	87	79	2214

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए०आई०ई० केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	438	–	327	110	220	1095
बालिका	592	–	443	148	296	1479
योग :–	1030	–	770	258	516	2574

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	–	–	–	–	–	–
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	–	–	–	–	–	–

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	25	–	06	04	01	36
बालिका	20	–	05	03	–	28
योग :–	45	–	11	07	01	64

EGS/AIE योजना हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र (1)

स्कूल न आने वाले बच्चों की स्थित (31.12.200 की स्थिति)

विकास क्षेत्र नगर क्षेत्र का नाम : नगर पालिका मुगलसराय, जनपद–चन्दौली।

(1) 6–14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या –

बालक 9839 बालिका 7774 योग :– 17623

(2) 6–14 वयवर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या –

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु० जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	2572	–	3478	1331	1100	8481
बालिका	1884	–	2151	1618	714	6367
योग :–	4456	–	5629	2949	1814	14848

(3) 6–8 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ई0जी0एस0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	03	–	03	02	02	10
बालिका	02	–	02	01	03	08
योग :–	05	–	05	03	05	18

(4) 9–14 वर्ष के स्कूल न जानेवाले बच्चों की संख्या (ए0आई0ई0 केन्द्रों के उपयोग हेतु)

बाल श्रमिक (CHILD LABOUR)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	08	–	12	25	–	45
बालिका	–	–	–	–	–	–
योग :–	08	–	12	25	–	45

घुमन्तू बच्चे (MIGRATED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	52	–	31	05	05	93
बालिका	08	–	04	02	02	16
योग :–	60	–	35	07	07	109

काम काजी बच्चे (WORKING CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	532	–	399	133	266	1330
बालिका	560	–	420	140	281	1401
योग :–	1092	–	819	273	547	2731

सड़क छाप बच्चे (STREET CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	25	–	12	–	03	40
बालिका	18	–	04	–	–	22
योग :–	43	–	16	–	03	62

विकलांग बच्चे (PHYSICAL HANDICAPED CHILDREN)

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	अन्य	योग
बालक	23	–	11	14	05	53
बालिका	04	–	01	03	–	08
योग :–	27	–	12	17	05	61

सर्वेक्षण के अनुसार प्राप्त आकड़ों के आधार पर जनपद के विभिन्न ग्रामीण वस्तियों में ई0जी0एस0 केन्द्र की स्थापना की जायेगी। ये वस्तियॉ चिन्हित की गई है। यहॉ 6 से 8 वर्ष के उन बालक बालिकाओं के लिए जिनकी बस्ती निकटतम् प्राथमिक विद्यालय से 1 कि0मी0 की परिधि से बाहर स्थित है और कम से कम 30 बच्चे स्कूल न जाने वाले में उपलब्ध है, उन्हें कक्षा 1 एवं 2 की शिक्षा प्रदान की जायेगी। ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना के लिए विकास खण्डवार प्राप्त प्रस्ताव निम्नवत् है :-

क0सं0	विकास क्षेत्र	प्रस्तावित केन्द्र हेतु चिन्हित वस्तियों की संख्या	चिन्हित वस्ती का नाम जहॉ E.G.S. केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है।
1.	चन्दौली	15	1–विसौरी, मुसहरान, 2–गोबरहॉ, 3–फत्तेपुर मड़ई, 4–चुरमुहीं, 5–नरसिंहपुर(मलिकपुर), 6–गेना का पुरवा (भिखारीपुर), 7–रमऊपुर, 8–वरउर, 9–मड़हर, 10–जगन्चपुर, 11–नवागढ़, 12–चकिया, 13–बगई, 14–मदलपुरवा, 15–भटपुरवा।
2.	नियमताबाद	03	1–तकिया, 2–ताहिरपुर, 3–दरियापुर, ।
3.	बरहनी	06	1–रैपुरी, 2–परसडीहा, 3–बसन्तपुर, 4–विजौरा, 5–किनौती, 6–सोवन्थ।
4.	सकलडीहा	06	1–ओड़ौली, 2–अलहिया, 3–सैदपुरवा, 4–कटेहरा, 5–बसरतिया, 6–बहरवानी।
5.	धानापुर		–विरना(मुसहरवस्ती), 2–नीरापुर, 3–खस्खोली, 4–अकवालपुर, 5–शिवदासीपुर, 6–मनीपट्टी, 7–विसुनपुर –खुर्द, 8–मंगलपुर, 9–किशुनपुरा।
6.	चहनियॉ	05	1–बड़गौवा(मलही का पूरा), 2–खर्रा, 3–मरकनिया, 4–मुकुन्दपुर, 5–रामपुर(प्रभुपुर)।
7.	चकिया	05	1–बहोरा, 2–कीटपुर, 3–कटनवॉ, 4–फत्तेपुर, 5–हथेड़ा
8.	शहाबगंज	07	1–मुसहरबस्ती(शहाबगंज), 2–तिरासी(मड़सर), 3–मुसहरबस्ती(खाश), 4–उजारीकटवा, 5–इटहिया(मूसी), 6–बल्लीपुर(डुमरी), 7–मरूहिया।
9.	नौगढ़	04	1–हरदहवा, 2–हिनवत घाट, 3–तोहड़ा, 4–कुबराडीह ।
10	नगरक्षेत्र (न0पा0 मुगलसराय)	00	–शून्य–
	कुल योगः–	60	60

A.I.E. में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र–2 जनपद, चन्दौली।

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण जनपद–चन्दौली।

(9–14 वयवर्ग)

क्रमांक	व्यवसाय का नाम जिसमें बच्चे अपने अविभावक के मददगार है।	व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का जन संख्या में प्रतिशत।	व्यवसाय में मदद करने वाले 9–14 वयवर्ग के बच्चों की संख्या					
			स्कूल पढने जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल न जाने वाले बच्चों की सं		
			बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कृषि	60	43429	34495	77924	7838	11443	1928
2.	पशुपालन	10	6448	6542	14990	1303	1908	3211
3.	दुकानदारी	10	3576	2829	6405	1305	1905	3210
4.	कुम्हार	5	2754	2217	4971	657	955	1612
5.	बढ़ई	6	3160	1605	4765	787	1130	1917
6.	दर्जी	4	3063	2051	5114	523	763	1286
7.	अन्य	5	4610	4330	8940	634	968	1602

A.I.E. में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र : (2) प्रपत्र–2.1

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वयवर्ग) विकास खण्डवार

जनपद – चन्दौली।

नोटः– प्रथम पृष्ठ पर इस वर्ग के पढ़ने वालों की तथा दूसरे पृष्ठ पर न पढ़ने वाले की संख्या विकास खण्डवार दर्ज की गई है। (मददगार पढ़ने वाले बच्चे)

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कृषि			पशुपालन			दुकानदारी			कुम्हार			बढ़ई			दर्जी			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	चन्दौली	9330	7240	16570	258	194	452	130	98	228	648	486	1134	648	486	1134	259	194	453	648	486	1134	11921	9184	21105
2.	नियमताबाद	8947	7804	16751	374	445	819	380	368	748	535	370	905	477	–	477	229	280	509	395	857	1252	11337	10124	21461
3.	बरहनी	5888	4315	10203	1175	1150	2475	1115	1075	2190	440	541	981	485	530	1015	475	410	885	567	417	984	10315	8338	18653
4.	सकलडीहा	4600	3899	8505	2294	1921	4215	2295	1920	4215	1147	960	2107	1230	1012	2242	1048	854	1902	1145	960	2105	13765	11526	25291
5.	धानापुर	5788	5438	11193	1184	892	2076	1263	905	2168	1187	898	2085	982	709	1691	838	682	1517	845	539	1084	11781	10033	21784
6.	चहनियाँ	1201	9317	21418	836	710	1546	167	142	309	167	142	309	167	142	309	187	142	309	1073	1070	2093	14878	11615	26293
7.	चकिया	5361	3796	9157	516	382	898	594	421	1015	297	210	507	590	400	990	200	209	409	639	504	1143	8197	5922	14119
8.	शहाबगंज	8884	5771	12655	45	40	85	75	05	80	10	08	18	12	–	12	08	10	18	607	548	1150	7636	6382	14018
9.	नौगढ़	2368	1941	4309	405	304	709	482	284	766	191	138	329	305	205	510	180	114	294	222	128	350	4153	3114	7267
10.	मुगलसराय न0पालिका	3007	2358	5365	521	384	905	508	363	871	254	182	436	283	234	517	203	108	311	313	191	504	5089	3820	8909
	योग :–	64247	51879	116126	7758	6422	14180	7029	5581	12610	4866	3905	8791	5179	3713	8897	3604	3003	6607	6149	5550	11699	98852	80058	178910

A.I.E. में नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र : (2) प्रपत्र–2.2

पैतृक व्यवसाय में मददगार बच्चों का विवरण (9–14 वयवर्ग) विकास खण्डवार

जनपद – चन्दौली।

नोटः– प्रथम पृष्ठ पर इस वर्ग के पढ़ने वालों की तथा दूसरे पृष्ठ पर न पढ़ने वाले की संख्या विकास खण्डवार दर्ज की गई है। (मददगार न पढ़ने वाले बच्चे)

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	कृषि			पशुपालन			दुकानदारी			कुम्हार			बढ़ई			दर्जी			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	चन्दौली	160	1428	1588	26	237	263	28	238	266	13	119	132	16	145	169	11	95	106	13	118	131	267	2376	2643
2.	नियमतावाद	1200	1223	2423	200	204	404	202	203	405	100	102	202	120	122	242	80	82	162	98	103	201	2000	2033	4039
3.	बरहनी	748	1339	2065	124	223	347	125	221	346	62	112	174	75	134	209	50	89	139	62	113	175	1244	2231	3475
4.	सकलडीहा	662	1114	1666	90	186	276	91	188	279	50	93	143	57	97	154	36	74	110	27	104	131	903	1856	2759
5.	धानापुर	826	1253	2079	138	209	347	137	208	345	69	104	173	83	125	208	55	84	139	68	106	174	1376	2089	3465
6.	चहनियाँ	658	922	1580	110	153	263	109	154	263	55	77	132	66	92	158	44	62	106	55	77	132	1097	1537	2634
7.	चकिया	1120	1292	2412	186	215	401	187	214	401	93	108	201	112	129	241	75	86	161	94	109	203	1867	2153	4020
8.	शहावगंज	1068	1125	2213	181	188	389	180	187	367	91	94	185	109	113	222	73	75	148	92	93	185	1814	1875	3689
9.	नौगढ़	679	904	1583	113	151	264	112	152	264	57	75	132	68	90	158	45	60	105	57	75	132	1131	1507	2636
10.	मुगलसराय न0पालिका	809	845	1654	135	142	277	134	140	274	67	71	138	81	85	166	54	56	110	68	70	138	1348	1400	2757
	योग :–	7838	11443	19281	1310	1908	3211	1305	1905	3210	657	955	1612	787	1132	1917	523	763	1286	634	968	1602	13047	19072	32119

क्रमश

चन्दौली जनपद कृषि प्रधान है। कृषि ही यहाँ प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। अधिसंख्य जनता किसान है। 6 – 14 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों में से अधिसंख्य बच्चे अपने माता–पिता के कृषि कार्यो में सहयोग प्रदान करते है तथा कुछ अन्य अपने पैतृक व्यवसाय जैसे पशुपालन,दुकानदारी, कुम्हारी, बढ़ईगिरी, दर्जीगिरी आदि। अन्याय पैतृक पेशों में लगे हुए है। ये बच्चे पैतृक व्यवसायो में लगे अपने माता–पिता के कार्यो में सहयोगी बनने के कारण एवंम् गरीबी के कारण बच्चों को पारिवारिक कार्यो में ही लगाये रहते हैं कन्यायें अपनी माता–पिता के साथ घरेलू कार्यो मे हाथ बटाने एवं अपने छोटे भाई–बहनों के लायक पालन में माता–पिता की सहयोगिनी बने रहने से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाती है। इसके अलावा इस जनपद का आधा हिस्सा जिसमें नौगढ़, चकिया और शहाबगंज आते है, पहाड़ी एवं मैदानी दोनो प्रकार के क्षेत्रों से युक्त है। जहाँ की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है, पहाड़ी नदी नालों के कारण भी बालिकायें स्कूली सुविधा घर से दूर उपलब्ध होने से शिक्षा से वंचित हो जाती है। इसी प्रकार कुछ बच्चे जो शालात्यग कर दिए और शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हट गए हैं उन्हे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसी विशिष्ट बास्तियों का सर्वेक्षणों परान्त चिन्हांकन करकर शिक्षा से इन अपवंचित 9 से 14 वर्षीय बालक/बालिकाओं को बैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करंके तथा नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करके शिक्षा देने तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उपाय किये जायगें। विभिन्न विकास खण्डो से इस प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा हेतु चिन्हित बास्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र ए0 आई0 ई0 खोलने के प्रस्ताव आगे सर्वेक्षण प्रपत्र संख्या–4 पर सूची वद्ध है

स्र्वेक्षण प्रपत्र – 4

जनपद :– चन्दौली : – स्कूल न जाने वाले 9 – 14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या (31.12.200)
(ग्रामीण / नगर क्षेत्र) के आधार पर

	शाला त्यागी बाहुल क्षेत्र का नाम			बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्र / बस्तियां			कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्र / बस्तीयॉ			
ब्लाक का नाम	जहाँ 15 से 25 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 25 से 50 बच्चे उपलब्ध हैं।	जहाँ 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध है	जहाँ 15 से 25 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 25–50 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध है	जहाँ 15–50 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 25 से 50 बच्चे उपलब्ध है।	जहाँ 50 से अधिक बच्चे उपलब्ध है।	
1. चन्दौली	कुरई	शाहपुर	–	–	–	–	भिखारीपुर	गोरारी	–	06
	चनहटा	–	–	–	–	–	एकौनी	–	–	
2. नियमताबाद	हसनपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	01
3. बरहनी	बरहनी	–	–	–	–	–	–	अमडा	–	06
	कम्हरिया	–	–	–	–	–	–	असना	–	
	भतीजा	–	–	–	–	–	–	अरंगी	–	
4. सकलडीहा	नरौजा	–	–	–	–	–	दर्गापुर	–	–	05
	जलालपुर	दिवाकरपुर	–	–	–	–	जीवनपुर	–	–	
			–	–	–	–		–	–	
5. धानापुर	बसगाँवा	–	–	–	–	–	गुरैनी	–	–	02
6. चहनिया	भुपौली	कैली	–	–	–	–	पपौरा	सढान	–	05
	–	–	–	–	–	–	कैथी	–	–	
7. चकिया	इमिलिया	चतुरीपुर	–	–	–	–	–	–	–	05
	जीयनपुर	अमरा दक्षिणी –	–	–	–	–	–	–	–	
	गरला	–	–	–	–	–	–	–	–	
8. शहबगंज	–	शहाबगंज	–	–	–	–	–	मूसाखाड	–	03
	–	सैदूपुर	–	–	–	–	–	–	–	
9. नौगढ	–	–	–	–	–	–	खटरवरिया	महादेवपुर विजयडीह	–	03
10. न. पा. मुगलसराय	–	–	–	–	काली महाल	–	–	–	–	01
योग	13	07	....	.....	01	....	08	08	....	37

वैकल्पिक एवं नवचार शिक्षा (ए0 आई0 ई0) कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्राप आउट के बालक बालिकाओं, अधिक आयु हो जाने से झेंप / मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से

वंचित बच्चों बालिकायें, कामकाजी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों, अल्प/दीर्घ ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन ब्लाक स्तर पर एवं जिला स्तर पर एक वृज कोर्स शिविर की स्थापना की जाएगी। इसका विवरण निम्न है:-

1. दीर्घ/अल्प कालीन शिविर की स्थापना

जनपद में कुल विकास खण्ड 9 x 1 = 9 शिविर

2. वृज कोर्स शिविर- जनपद स्तर पर एक चकिया तहसील मुख्यालय पर प्रस्तवित है।

इन शिविरो का उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित हो रहे 9-14 वयवर्ग के बालक/बालिकाओं को औपचारिक विद्यालय में लाना होगा। इन शिविरो में न्यूनतम 50 बच्चें सम्मिलित किए जायगें जिसमें बच्चों के रहने, भोजन एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी।

वृज कोर्स के संचालन हेतु निर्धारित मानकों के अनतर्गत एक केयर टेकर, 2 पैरा टीचर एक कुक (रसोइया) तथा एक चौकीदार की व्यवस्था नियमानुसार की जायेगीं। व्यय का प्राविधान बजट में प्रस्तावित है।

चिन्हित बस्तियों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगीं जहॉ शिक्षण कार्य के लिए स्थल/कक्ष की व्यवस्था स्थानीय समुदाय द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों की संस्तुतियों पर पंचायत भवन, चौपाल अथवा किसी विवाद रहित स्थान पर किया जायेगा जो बच्चों के पहुँच की दृष्टि से उपयुक्त हों। वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र प्रतिदिन 4 घण्टे संचालित किये जायेगे। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर केन्द्रों के संचालन का समय देर शाम एवम् रात्रि को नहीं रखा जायेगा।

आचार्य/ अनुदेशक की न्यूनतन शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल या इसके समकक्ष होगी। महिलाओ को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। आचार्य/अनुदेशक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी आचार्य/अनुदेशक का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करके हाई स्कूल परीक्षा के अंको के प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात आचार्य/अनुदेशक का आमन्त्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा दिये जायेंगे। किसी आचार्य/अनुदेशक का कार्य सन्तोष-जनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करके आचार्य/अनुदेशक को हटाया जा सकता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र में खोले जाने वाले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में आचार्य/अनुदेशक का चयन जिला बेसिक/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। आवश्यतानुसार मक्तवो/मदरसो में शिक्षण कार्य करने वाले मौलवी अथवा हाफिज द्वारा अनुदेशक हेतु शैक्षिक अर्हता रखने वाले तथा शिक्षण कार्य करने की स्थिति में

मकतबों/मदरसों में संचालित होने वाले केन्द्रों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी अन्यथा सम्बन्धित मकतब की प्रबन्ध समिति द्वारा अर्ह व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम न हो, को मकतबों में संचालित होने वाले केन्द्रों में अनुदेशक के रूप में चयनित कर शिक्षण कार्य हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के केन्द्रो हेतु अनुदेशकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। जहाँ पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हों वहाँ पर इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है। अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक सम्विदा प्रपत्र भराया जायेगा।

आचार्य/अनुदेशक का प्रशिक्षण

आचार्य/अनुदेशको का 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्रो पर आयोजित किया जायेगा। इनका यह प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा योग्य अध्यापक/सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से करायी जोयेगी। प्रशिक्षण अवधि में कोई धनराशि मानदेय के रूप में अनुदेशक को देय नहीं होगी।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री की व्यवस्था

ऐसे प्रत्येक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिये साज–सज्जा एवम् शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु आवश्यक धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार क्रय करके सीधे केन्द्र के आचार्य/अनुदेशकों को उपलब्ध करायेगी। इन केन्द्रों में नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचांलन हेतु अनुसांगिक व्यय प्राथमिक स्तर के केन्द्रों के लिए 468.75 प्रति केन्द्र तथा अपर प्राथमिक स्तर के केन्द्र के लिए 500/प्रति केन्द्र का प्राविधान है।

पर्यवेक्षण की व्यवस्था

इन केन्द्रों के सफल संचालन हेतु तथा एकेडमिक सहयोग एवम् नियमित पर्यदेक्षण का कार्य विभिन्न स्तरों पर निम्नांकित लोगो द्वारा कराया जायेग।

1– ब्लाक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी /सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/ वी. आर. सी. समन्वयक द्वारा तथा नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक द्वारा।

2. न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र प्रभारी द्वारा।

3. ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति/प्रधानाध्यापक द्वारा।

4. इसके अतिरिक्त जनपदीय मण्डलीय एवं राज्य स्तरीय शिक्षा विभागीय अधिकारियों द्वारा।

शिक्षार्थियों का मूल्यांकन एवम् शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित कराने की व्यवस्थाः–

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवम् व्यापक मूल्यांकन केन्द्र के आचार्य/अनुदेशक द्वारा किया जायेगा। इस हेतु आचार्य/अनुदेशक द्वारा दैनिक डायरी तैयार की जायेगी। बच्चों का त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवम् वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मे पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्रतिशीघ्र औपचारिक विद्यालय की मुख्यधारा की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य हो किसी भी समय प्रवेश पा जायें। अनुदेशक/आचार्य का दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले शीघ्रतिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संस्था में शिक्षा की मुख्यधारा में उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य/अनुदेशक का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों में अध्यापनरत बच्चें जो कक्षा 5 हेतु निर्धारित कार्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी वार्षिक परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी, तत्पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा।

अनुश्रवण की व्यवस्थाः–

इन शिक्षा केन्द्रों में नामांकन, आचार्य/अनुदेशक की नियुक्ति शिक्षण स्थलों के चयन, शिक्षण कर्त्ताओं के कार्य का मूल्यांकन तथा इनसे सम्बन्धित सभी प्रकार के आय/व्यय के सम्बन्धी लेखा–जोखा का रख रखाव, आकड़ो के एकत्रीकरण, संकलन और विश्लेषण की व्यवस्था हेतु जनपद स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड मैनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम की स्थापना करके की जायेगी।

केन्द्रों का समय–समय पर भौतिक सत्यापन ग्राम शिक्षा समिति, ब्लाक सतरीय एवम् जिला स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर मासिक, त्रैमासिक, तथा वार्षिक बैठके आयोजित कर एवम् सूचना एकत्र करके कार्यक्रम की समीक्षा करके प्रगति आख्याओं का प्रसारण किया जाएगा।

उपर्युक्त कार्यक्रमों पर लगने वाली इकाई लागत तथा अनुनाति लगात का विवरण आगे अंकित है:–

इ0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों में जनपद में चलने वाले कार्यक्रमों की इकाई लागत एवं अनुमानित लागत का विवरण निम्नलिखित है–						
क्र0सं0	आईटम का नाम	इकाईयों की कुल संख्या	प्रति इकाई लागत दर	कुल अनुमानित लागत		
				प्राथमिक स्तर के केन्द्र	अपर प्राईमरी स्तर के केन्द्र	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	ई0जी0एस0 केन्द्र	60				
अ.	अनुदेश/मानदेय (60X1000X10)		रू0 1000.00 प्रतिमाह/प्रति अनु0	600000.00	–	600000.00
ब.	अनुदेशक प्रशिक्षण (60X1500)		रू0 1500.00 प्रति	90000.00		90000.00
स.	शिक्षण सामग्री छात्रों के लिए (60X30X100)		रू0 3000.00 प्रति	180000.00		180000.00
द.	केन्द्र के लिए शिक्षण सामग्री		रू0 1100.00 प्रति	66000.00		66000.00
य.	केन्द्र कन्टीजेन्सी (60X468.75)		रू0 468.75 प्रति	28128.00		28125.00
		उपयोग		964125=00	–	964125.00
2.	बैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	37				
अ	अनुदेशक मानदेय प्राथमिक स्तर 30 X1000 X10		रू0 1000.00 प्रति	300000.00	–	300000.00
	अपर प्राथमिक स्तर 7 X2 X2000 X10		रू0 2000.00 प्रति		280000.00	280000.00
ब	अनुदेशक प्रशिक्षण प्रा0 स्तर 15000 X30		रू0 1500.00 प्रति	45000.00		45000.00
	अपर प्रा0 स्तर 2000 X7 X2		रू0 2000.00 प्रति		28000.00	28000.00
स	शिक्षण सामग्री प्राथमिक स्तर केन्द्र 30 X30 X100		रू0 100.00 प्रति	90000.00		90000.00
द	शिक्षण सामग्री अपर प्रा0 स्तर केन्द्र 7 X30 X50		रू0 150.00 प्रति		31500.00	31500.00
य	केन्द्र कान्टीजेन्सी व्यय प्रा0 स्तर 30 X468.75		रू0 468.75 प्रति	14062.00		14062.00
	अपर प्रा0 स्तर 7 X50		रू0 500.00	–	3500.00	3500.00
		उप योग		449062.00	343000.00	792062.00
3	बृजकोर्स/शिविर	01				
अ	केयर टेकर–1. पैराटीचर–2 कुल 3 के प्रशिक्षण पर व्यय 3 X2000 X30		रू0 2000.00	180000.00		180000.00
ब	केयरटेकर, पैराटीचर वेतन/मानदेय व्यय		रू0 2500.00	90000.00		90000.00

	3x250x12					
स	कुक मानदेय / पारिश्रमिक 1x2000x12		रु 2500.00 प्रति	24000.00		24000.00
द	50 छात्रों हेतु शिक्षण सामग्री केन्द्र हेतु शिक्षण सामग्री केन्द्र कान्टीजेन्सी कुल मिलाकर रु 3000.00 प्रति छात्र की दर से		रु 3000.00 प्रति	15000.00		15000.00
य	50 छात्रों हेतु भोजन, जलपान आदि का 12 माह हेतु दर रु 1500.00 प्रति छात्र (50x1500x12)		रु 1500.00 प्रति	900000.00		900000.00
द	साज सज्जा तथा अन्य व्यय (वर्ष भर का)			150000.00		150000.00
		उप योग		1494000.00		1494000.00
		सम्पूर्ण योग		2907187.00	343000.00	3250187.00

ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान दिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के अप्रेज़ल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाये गये स्वगं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्याः रा0प0नि02466/2001–2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कर्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजूकेशन गारण्टी स्कीम एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/संदर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अण्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो–प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 32119 आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षो में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा. पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

अध्याय 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि हेतु अतिरिक्त कक्षा कक्षों एवं जर्जर स्कूल भवनों का निर्माण विद्यालयों के भौतिक सुविधाओं की पूर्ति विकलांगों की समेकित शिक्षा का पूर्ण समावेश है।

निर्माण कार्य

विद्यालय भवन का पुर्ननिर्माण

यह जनपद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा आच्छादित रहा है। इसके तहत 131 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 35 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, 79 प्राथमिक विद्यालय का पुर्ननिर्माण, 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय का पुर्ननिर्माण, 614 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 120 शौचालय आदि का निर्माण कराया जा चुका है। फिर भी जनपद के कुछ विद्यालय पुर्ननिर्माण की कोटि में आ गये हैं। जिनका विकास खण्डवार विवरण सारणी के रूप में अंकित है। इस कर्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक विद्यालयों में 29 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8 का पुर्ननिर्मान प्रस्तावित है। **वर्ष 2002–2007 की अवधि में जर्जर 29 प्राथमिक विद्यालयों तथा 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।**

सारणी 8.1

क्रम	ब्लाक का नाम	आइटम/सुविधा का नाम									
		पुर्ननिर्माण		अतिरिक्त कक्षा/कक्ष		शौचालय		हैण्डपम्प		चहारदीवारी	
		पुर्ननिर्माण प्रा०वि०	पुर्ननिर्माण उ०प्रा०वि०	प्रा०वि०	उ०प्रा०वि०	प्रा०वि०	उ०प्रा०वि०	प्रा०वि०	उ०प्रा०वि०	प्रा०वि०	उ०प्रा०वि०
1.	चन्दौली	2	-	55	15	-	-	7	3	77	16
2.	नियामताबाद	0	1	41	10	3	1	7	3	75	12
3.	बरहनी	2	2	44	10	11	1	4	-	75	12
4.	सकलडीहा	1	-	10[illegible]	5	3	1	7	-	75	12
5.	धानापुर	10	2	20	5	3	-	18	4	80	22
6.	चहनिया	1	-	4[illegible]	6	15	5	20	5	87	15
7.	चकिया	8	2	9[illegible]	7	11	5	11	5	70	13
8.	शहाबगंज	2	-	28	5	-	-	10	2	67	1[illegible]
9.	नौगढ़	3	1	13[illegible]	10	4	-	8	-	52	11
10.	न०पा० मुगलसराय	-	-	-	-	3	1	3	1	-	-
	सम्पूर्ण योग	29	8	224	73	53	14	95	23	65[illegible]	1[illegible]4

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चाहर दीवारी निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान नहीं रखा गया है।

<u>शौचालय</u>

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 730 शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

<u>हैण्डपम्प</u>

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 118 हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

<u>अतिरिक्त कक्षा–कक्ष</u>

वर्ष 2002–2007 की अवधि में 847 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष के निर्माण हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

जहाँ तक अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग का प्रश्न है वह निम्न आधार पर निकाली गई है।

1.	सभी 1 कक्षीय विद्यालयों को कम से कम 3 कक्ष उपलब्ध कराये जायेगें, वर्तमान मे ऐसे–ऐसे विद्यालय हैं अतः नये कक्षा कक्षों की संख्या	4
2.	सभी 12 कक्षीय विद्यालयों को कम से कम 3 कक्ष उपलब्ध कराये जायेगें, वर्तमान में ऐसे 156 विद्यालय हैं अतः नये कक्षा कक्षों की संख्या	156
3.	209 चार कक्षीय विद्यालयों में 20 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र नामांकन अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त कक्ष	40
4.	81 पाँच कक्षीय विद्यालयों मे 20 प्रतिशत में छात्र नामांकन अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त कक्ष	16
	कुल अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	224

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1.	सभी 3 कक्षीय विद्यालयों में एक अतिरिक्त कक्ष की उपलब्धता	56
2.	50 चार कक्षीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत में छात्र नामांकन अधिक होने के कारण एक अतिरिक्त कक्ष	10
3.	35 पाँच कक्षीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत में एक अतिरिक्त कक्ष	7
	कुल अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	73

2.2 अतिरिक्त शिक्ष / शिक्षा मित्र की व्यवस्था

वर्ष 2002–2007 की अवधि में छात्र–अध्यापक अनुपात को मानक के अनुरूप लाने हेतु 1680 अतिरिक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की व्यवस्था हेतु वित्तीय प्राविधान रखा गया है।

वर्ष	शिक्षकों की आवश्यकता		
	शिक्षक	शिक्षा मित्र	योग
2001–2002	137	137	274
2002–2003	335	334	669
2003–2004	183	183	366
2004–2005	185	185	370
2005–2006	192	192	384
2006–2007	56	56	112
2007–2008	57	56	113
2008–2009	58	58	116
2009–2010	60	59	119
योग	1263	1260	2523

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 118 प्राथमिक विद्यालय तथा 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग है जिनकी म हेतु रू0 20000/– की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 75 प्राथमिक विद्यालय तथा 25 उच्च प्रा विद्यालय वृहत मरम्मत योग है, जिनकी मरम्मत हेतु रू0 70,000/– की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु म की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहत मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार परियोजना कार्यालय को होगा। **वर्ष 2002–2007 की अवधि में 68 विद्यालयों में लघु मरम्मत तथा विद्यालयों में वृहत्त मरम्मत का वित्तीय प्राविधान रखा गया है।**

बालिका शिक्षा

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता का दर 42 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता 32 प्रतिशत तथा नगरीय साक्षरता 52 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता 54 प्रतिशत महिला साक्षरता 18 प्रतिशत है। इस प्रकार उपर्युक्त महिला साक्षरता की दर जनपद में पुरूषों की अपेक्षा बहुत कम है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में

बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। तद्नुसार बालिका शिक्षा के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये गये। इस विवरण से यह बात स्पष्ट रूप से उभरकर आ रही है कि साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्रका विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शत-प्रतिशत करने के साथ-साथ सभी वर्ग की शत-प्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गॉव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्यायें उभर कर सामने आयी है। जिनके समाधान के लिए बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये हैं इनमें 3-6 वय वर्ग के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये जिसके फलस्वरूप इन विद्यालयों में बालिका शिक्षा के नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई। क्योंकि बालिकायें प्रायः इस वय वर्ग के अपने छोटे भाई-बहनों के देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जा पाती। कक्षा-5 पास करने के पश्चात् अब प्राथमिक कक्षाओं के बालिकाओं के लिए कार्यानुभव के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यानुभव प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। परिणामस्वरूप विद्यालय में बालिकाओं की उपस्थिति में वृद्धि हुई एवम् ड्राप - आउट दर में कमी आयी। जनपद के विकास खण्डों में एवम् नगर क्षेत्र में साक्षरता में महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है जिसमें नौगढ़ की महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 6 प्रतिशत है, नियमताबाद की 14 प्रतिशत है चकिया एवम् शहाबगंज की 17 प्रतिशत है। सकलडीहा का 18 प्रतिशत, चन्दौली, धानापुर, चहनिया की 21 प्रतिशत है। बरहनी 23 प्रतिशत है तथा नगर क्षेत्र का 42 प्रतिशत है जो सारिणी में निम्नवत है:-

क्र0स0	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर (प्रतिशत)			साक्षरता दर अनुसूचित जाति (प्रतिशत)		
		पुरूष	महिला	कुल योग	पुरूष	महिला	कुल योग
1.	चन्दौली	55	21	36	24	12	18
2.	नियमताबाद	42	14	28	20	10	16
3.	बरहनी	52	23	38	23	11	17
4.	सकलडीहा	49	18	34	26	14	20
5.	धानापुर	51	21	36	28	16	22
6.	चहनिया	55	21	37	25	17	21
7.	चकिया	42	17	30	21	09	15
8.	शहाबगंज	45	17	32	24	14	19
9.	नौगढ़	28	06	17	16	08	12
	योगः	46	18	32	45	13	18
	न0पा0 मुगलसराय	6	46	56	30	20	25
	टाउन एरिया चन्दौल	60	40	50	24	12	18
	टाउन एरिया सैयदराजा	62	42	52	23	11	17
	टाउन एरिया चकिया	58	38	48	21	09	15
	योग	62	42	52	25	13	18

स्रोत सांख्यिकी पंत्रिका 1997

इस प्रकार महिला साक्षरता दर को देखते हुए सर्वप्रथम विकास खण्ड नौगढ़, नियामताबाद तथा चकिया में बालिका शिक्षा विशेष रूप से प्रस्तावित है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित रणनीतियों प्रस्तावित है।

1. अभिभावक अपने बालिकाओं को दूरस्थ विद्यालय में भेजना नही चाहते है। इस हेतु 1.5 कि0मी0 की परिधि में प्रत्येक 300 की आबादी पर नवीन प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी एवं 800 की आबादी तथा 3 कि0मी0 की परिधि पर ऐसी प्रत्येक बस्ती में उ0प्रा0विद्यालय खोले जायेगें जहाँ अभी विद्यालय नहीं है।

2. प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के ठहराव हेतु शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

3. प्रत्येक प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत शिक्षक महिलायें हो ऐसा प्रयास किया जायेगा।

4. मात्र शिक्षक संघ एवं महिला प्रेरक समूहों का गठन कर बलिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को दूर किया जायेगा।

5. बालिकाओं के नामांकन एवम् ठहराव में वृद्धि हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जायेगी।

6. जनपद में बालिका शिक्षा की देख-रेख हेतु एक पूर्ण कालिक जिला समन्वयक (बालिका) की व्यवस्था नियमानुसार प्रति नियुक्ति के आधार पर की जायेगी।

7. समस्त सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं, विद्यालय वातावरण आदि पर आधारित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

8. ऐसी बालिकायें (6 से 14 वय वर्ग) जो औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा सकती उनको EGS/AIE में प्रवेश कराया जायेगा।

9. 11-14 वय वर्ग की बालिकायें जो गाँव की रूढ़िवादी परम्पराओं के कारण बालकों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती उनके लिए पृथक नवाचार केन्द्र खोले जायेगें।

10. कार्यानुभव कार्यक्रम चलाये जायेगें।

11. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा उन्नयन हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जायेगा।

जनजागरण अभियान :

जनपद चन्दौली में 6 से 14 वय वर्ग की कुल बालिकाओं की संख्या 157160 है जिसमें 133429 बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में है। शेष 23731 बालिकायें अब भी औपचारिक प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे नामांकित नही है। इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जन-जागरण अभियान चलाये जायेगें। विशेषकर विकास खण्ड नौगढ, नियमताबाद, चकिया तथा शहाबगंज ऐसे विकास खण्ड है जहां पर बालिकाओं का साक्षरता

प्रतिशत बहुत ही कम है ऐसी बालिकायें जहां पर घरों में काम करती है या अल्पसंख्यक है। अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है वहां पर प्रतिमाह जुलाई से सितम्बर तक जन–जागरण अभियान चलाये जायेगा । इसके निमित्त प्रभात फेरिया, जुलूस, पोस्टर, नारों का लेखन, जन–सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।

महिला प्रेरक समूहों का गठन किया जायेगा। तदोपरान्त प्रभावी प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को बालिका शिक्षा को संवेदनशील बनाने हेतु विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जनपद के अत्यन्त पिछड़े एवं सुदूर वर्ती विकास खण्डों न्यायपंचायतों, ग्राम पंचायतों में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मॉडल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

माडल क्लस्टर एप्रोच–

न्यायपंचायतों को मॉडल क्लस्टर के रूप में विकसित किये जायेंगे। इस क्लस्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेगें ताकि इन न्यायपंचायतों की समस्त ग्राम पंचायतों में से 6–14 वय वर्ग की बालिका का शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव सुनिश्चित हो साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रूचि स्वयं इनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्यायपंचायतों में बालिकाओं में आत्म–विश्वास एवं आत्म–छवि को विकसित करने एवं उनमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ– ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निम्रण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनानें हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगें।

महिला प्रेरक दल–ऐसे गाँव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करनें हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगें।

- **ठहराव परिक्रमा तथा ताराकंन**

  ♦ बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंग। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

  ♦ बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एव बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार ताराकंर किया जायेगा।

  – माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान

  – माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान

  – माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

  बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगेत कर ग्राम स्तरीय समूहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन से बने बैज प्रदान किये जायेगे।

- **सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन**

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा इससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनो के विषय में उन्हे अवगत कराते हुये नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें। जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- **कोहार्ट स्टडी**

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिए ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- **ग्रीष्म कालीन शिविर**

ऐसे गाँव/ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाल त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हे पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- **"बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान**

  सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम हैं "बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करनें के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव–गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियाँ की जायेगी। यह अभियान में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

  बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढ़ीकरण

3–6 वय वर्ग के बच्चों के लिए जनपद के तीन विकास खण्ड सकलडीहा, चकिया तथा नौगढ़ में शिशु शिक्षा केन्द्र संचालित है। छोटे भाई – बहनों की देख–रेख में लगी बालिकायें विद्यालय नहीं आ पाती। उन्हें विद्यालय में आने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई0सी0डी0एस0 के आंगनबाड़ी केन्द्र नही संचालित है, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते है। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आंमत्रित किये जायेगें। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगां

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अन्य कार्यक्रम जैसे कार्यानुभव

करके सीखनें की शिक्षा विधि के आधार पर जनपद के विकास खण्ड नौगढ़, नियनताबाद, चकिया तथा शहाबगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यानुभद शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर खिलौने बनाना, कला चित्र, रंगाई, सिलाई–कढ़ाई, बुनाई का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

2. परिवार में ऐसे विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिनसे परिवार में आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है।

3. विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उत्पादन में कमी होती है। इससे समाज में एकीकरण की कमी हो जाती है।

अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ समाज में प्रचलित है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जब कि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्क होता है। विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य एवं गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

4. **संवेदनशीलता**

अक्षम व्यक्तियों के शिक्षा के लिए निम्नांकित संवेदीकरण की आवश्यकता है:—

1. समुदाय का संवेदीकरण।
2. परिवार एवं भाई—बहनों का संवेदीकरण एवं मार्ग—दर्शन।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दर्शा देते हैं इन्हें सहानुभूति नही बल्कि सहायता की आवश्यकता होती है। उनकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता होती है।

5. उपकरण एवं उपस्कर

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण तथा उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक, कए E&T डाक्टर एवं नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा मेडिकल जांच कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी।

निशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण:-

निशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण की व्यवस्था शासन की की ओर से की गयी है। समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बालक एव बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक को निःशुल्क वितरित किया जायेगा। इनकी संख्या सारिणी ८.२ में दर्शायी गयी है।

सारणी – ८.२

निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का विवरण – प्राथमिक स्तर

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
२००१–२००२	१०६७१६	३६१००	१४८८१६
२००२–२००३	१२१४७७	४३७४५	१६५२२२
२००३–२००४	१२४१६२	४४७०३	१६८८६५
२००४–२००५	१२६६४०	४५६८२	१७२३२२
२००५–२००६	१२६१६७	४६६८८	१७५८५५
२००६–२००७	१३१७६१	४७७१५	१७६४७६
२००७–२००८	१३४३६३	४८७६५	१८३१५८
२००८–२००९	१३७०७७	४९७४३	१८६८२०
२००९–२०१०	१३६८१५	५०७३४	१९०५४६
योग	११०४२११	४१६८७५	१५२१०८६

स्रोत : विभागीय आंकड़े

सारणी – ८.३

निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का विवरण – उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	कुल बालिकाओं की संख्या	अनुसूचित जाति के बालकों की संख्या	योग
२००१–२००२	३०५६५	१२५८३	४३१७८
२००२–२००३	३५६८३	१३७१८	४६७०१
२००३–२००४	३६६७८	१४८६५	५४५७३
२००४–२००५	४३५१६	१६१९६	५६६३८
२००५–२००६	४७५०६	१७३८६	६४८६८
२००६–२००७	५२६६२	१६०८१	७१७७३
२००७–२००८	५३८६७	१६४६०	७३३२७
२००८–२००९	५४६४५	१६८५१	७४७६६
२००९–२०१०	५६०४३	२०२४५	७६२८८
योगः	४१४८३१	१५३३४१	५६८१७२

स्रोत : विभागीय आंकड़े

<u>समेकित एवम् सम्मिलित शिक्षा</u> :

देश की लगभग ५ से १० प्रतिशत की आबादी किसी न किसी विकालंगता से ग्रसित है। शिक्षा के सार्वजनीकरण की लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जबतक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वहीं परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के विकलांगता से ग्रसित कम एवं मध्यम श्रेणी के बच्चे को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है। इस जिले में दिकलांग बच्चों का सर्वेक्षण किया जायेगा और इन बच्चों की शिक्षा की योजना तैयार की जायेगी इस सम्बन्ध में निम्न लिखित मार्ग दर्शिका को ध्यान में रखा जायेगा।

विकलांगता / अक्षमता के प्रकार :

विकलांगता मुख्य रूप से ५ प्रकार की होती है ।

१. दृष्टि विकलांगता

2. श्रवण स्वयं वाणी विकलांगता
3. अस्थि विकार विकलांगता
4. मानसिक मन्दता
5. अधिगम मन्दता

विकलांगता के कारण :

बच्चों के कुछ विकलांगतायें जन्म से होती है तो कुछ जन्म के पश्चात् विकसित होती हैं। कुछ विकलांगतायें वातावरण से सम्बन्धित होती है। बच्चों की अधिगम अक्षमता के निम्न कारण होते हैं

1. बौद्धिक क्रिया–कलाप को निम्न स्तर एवम् विकास की मन्द गति।
2. देखने में कठिनाई, सुनने एवन् बोलने में कठिनाई।
3. हाथ पैर का क्षतिग्रस्त होना या हाथ, पैर, का होना, अगो की विकृति जो मांसपेशियों व ताल मेलन न होने से क्रिया–कलापो मे कठिनाई।
4. मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण अवधान, स्मृति चिन्तन समस्यायें
5. दृष्टि तथा मांस पशियों में ताल–मेल न होना।

कुछ कारण बच्चों के घर परिवार एवम् विद्यालय से सम्बन्धित होते हैं।

- माता पिता के स्नेह में कमी।
- बच्चो को ही भावना से देखना।
- सिखने के समान अवसर न मिलना।
- शिशु स्तर पर लालन पालन के अनुपयुक्त तरीके अपनाना।
- शिक्षक का बच्चों से कम लगाव होना।
- सामान्य बच्चों का विकलांग बच्चो के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना।

अक्षमता के परिणाम .

1. बच्चो मे आत्म–निर्भरता में कमी हो जाती है। वे परामुखापेक्षी हो जाते है। उन्हे चलने में कठिनाई होती है जिसके फलस्वरूप दूसरों से सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे बच्चे समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं।

2. परिवार में ऐसे विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है जिनसे परिवार में आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है।

3. विकलांग बच्चों के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। इससे उत्पादन में कमी होती है। इससे समाज में एकीकरण की कमी हो जाती है।

अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ समाज में प्रचलित है। बहुत से अध्यापकों का विश्वास है कि अक्षम बच्चों के शिक्षा के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता होती है जब कि कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती। केवल अध्यापक को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्क होता है। विशेष प्रकार की तकनीकी की आवश्यकता केवल उन बच्चों के लिए होती है जिनका रोग असाध्य एवं गम्भीर रूप धारण कर चुका है।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बच्चों की समोंकित शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा बेसिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किये जाने के लिये सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावक तथा शिक्षकों का संवेदीकरण, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, विकास खण्ड स्तर तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी, ख्याति प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एव अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

4. **संवेदनशीलता**

अक्षम व्यक्तियों के शिक्षा के लिए निम्नांकित संवेदीकरण की आवश्यकता है:—

1. समुदाय का संवेदीकरण।
2. परिवार एवं भाई—बहनों का संवेदीकरण एवं मार्ग—दर्शन।
3. अध्यापकों का संवेदीकरण।

संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है। अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दर्शा देते हैं इन्हें सहानुभूति नही बल्कि सहायता की आवश्यकता होती है। उनकी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता होती है।

5. **उपकरण एवं उपस्कर**

अक्षम बच्चों की विकलांगता की डिग्री एवं उपकरण तथा उपस्कर की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए बच्चों का डाक्टरों की टीम जिसमें एक आर्थोपेडिक, कए E&T डाक्टर एवं नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा मेडिकल जांच कराया जाता है फिर आवश्यकतानुसार उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति करानी होगी।

6. **अध्यापको का सेवारत प्रशिक्षण** :

अध्यापकों के सेवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम में समेकित शिक्षा का बिन्दु विशेष रूप से आवश्यक है जिसमें विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर विशेष बल दिया जाता है।

7. शिक्षकों के लिए सामग्री का विकास :

शिक्षकों द्वारा हस्त–पुस्तिका विकास किया जाना चाहिए तथा पांच विकलांगताओं. दृष्टि. श्रव्य. अधिगम. अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर हैण्डबुक तैयार किया जाना चाहिए।

8. स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जायेगी।

7. छात्र स्वास्थ्य परीक्षण :

स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का विकास होता है। अपितु बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः देखा जाता है कि परीक्षण के अभाव में सामान्य रोग भी विकलांग रूप धारण कर लेता है जिसके फलस्वरूप बच्चे काल–कवलित हो जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गयी हैं जिसके तहत सम्बन्धित बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक विद्यालय पर बना हुआ है जो प्रधानाध्यापक की देख–रेख में विद्यालय पर सुरक्षित रहता है। समय–समय पर डाक्टरों का दल प्रत्येक विद्यालय पर पहुँचकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करता है तथा रोग ग्रसित बच्चों की सूची तैयार कर निदान हेतु रेफर करते हैं। इस प्रकार के रोगों की जानकारी होने से अभिभावक सतर्क रहते हैं तथा डाक्टर द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हैं।

8. सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम :

सर्वशिक्षा अभियान स्कूल पद्धित के कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय आधारित कोटि परक प्रारम्भिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता को पूर्ण करने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्त्री–पुरुष असमानता तथा सामाजिक स्तर को समाप्त करने की परिकल्पना की गयी है। प्रभावी विकेन्द्रीकरण के माध्यम से विद्यालय आधारित कार्यक्रमों की सामुदायिक सहमति की अपेक्षा की गयी है। महिला समूह. ग्राम शिक्षा समिति के

सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सम्मिलित कर इस कार्यक्रम को गतिशील बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत सामुदायिक सहयोग पर विशेष बल दिया जायेगा। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना पद्धति सूक्ष्य आयोजनला औरा सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कल स्तरीय आंकड़ों जैसे महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्ध स्थापित करना अनिवार्य होगा। सर्व शिक्षा अभियान आयोजना की इकाई के रूप में बस्ती के साथ योजना बनाते हुए सामुदायिक आधारित दृष्टिकोण अपनाना आदश्यक होगा। बस्ती योजनायें जिला योजना तैयार करने की आधार होगी। सर्वशिक्षा अभियाम नें शिक्षकों, अभिभावकों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच पारदर्शिता की कल्पना की गयी है। परियाजना का पूर्व चरण सुनियोजित रूप से एक साथ प्रारम्भ की जायेगी। मूल्यांकन पद्धति को सुधारकर क्षमता विकास के अनेक कार्यक्रम चलाया जायेगा। बस्ती योजना को तैयार करने के लिए समुदास पर आधारित सूक्ष्म आयोजना तथा स्कूल मैपिंग का प्राविधान, विस्तृत घरेलू सर्वेक्षण को शामिल करना, सामुदायिक गतिशीलता के लिए कार्यकलाप सूचना पद्धति तैयार करने के लिए सहायता कार्यक्रम उपस्कर का प्राविधान सम्मिलित है।

समुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षाके प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय व स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया नें स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूण्र योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लए जनपद स्तर पर एक निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनाई जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रस्तावों को डेस्क आूप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा औ संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

माइक्रोप्लानिंग आँकड़ों का संकलन :

जनपद के 09 विकास खण्डों एव नगर पालिका मुगलसराय में माइक्रोप्लानिंग कराई गयी। प्राप्त आंकड़ों का संकलन विकास, खण्डवार किया गया तथा उसका परीक्षण एव पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर किया गया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही कार्य योजना की संरचना की गयी। इसी आधार पर नवीन प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा केन्द/नवाचार केन्द्रों को चिन्हित किया गया। प्राथमिक विद्यालय हेतु ऐसी ही बस्तियों का यचन किया गया जो 1.5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर तथा बस्ती की

आबादी 300 या उससे अधिक है। उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ऐसे बस्तियों को चिन्हित किया गया जो 3.00 कि0मी0 परिधि से अधेक दूरी तथा 800 या उससे अधिक आबादी वाले हों। 6 से 8 वय वर्ग के बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनके लिए ऐसे बस्तियों को चिन्हित किया गया जहा पर 30 बच्चे उपलब्ध हैं। उक्त स्थान पर शिक्षा गारण्टी केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया गया है। 9–14 वय वर्ग के बच्चे जो शाला त्याग कर चुके हैं तथा गृह कार्य से विद्यालय नहीं आ पाते हैं उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र/नवाचार हेतु बस्तियों को चिन्हित कर शिक्षा के मुख्या धारा से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

वातावरण सृजन :

किसी भी अभियान/जनान्दोलन को चलाने एवं पूर्ण रूप से सफल बनाने में वातावरण सृजन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रारम्भिक वातावरण सृजन हेतु जन–जागरण, रैलियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बस्ती, ग्राम, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड, तहसील एवं जनपद स्तर पर सम्पादित किया जायेगा। समाचार–पत्र, विज्ञापन एवं पोस्टर–बैनर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा । समाज के पिछड़े, दलित, अपवन्चित, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा। प्राय: देखा जाता है गरीबी एवं रूढ़िवादिता के फलस्वरूप बहुत से अभिभावक अपने बच्चे को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं तथा कुछ अभिभावक विद्यालय भेजते भी है तो बीच मे पढाई छुड़ा देते हैं जिसके फलस्वरूप ड्राप–आउट की समस्या दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए वातावरण का सृजन बहुत ही आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जबकि निचले स्तर के लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो।

पल्स–पोलियो एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के सम्पादन के साथ–साथ सर्वशिक्षा अभियान से सम्बन्धित गोष्ठियों का आयोजन सम्पूर्ण जनपद में किया जायेगा जिससे इस अभियान की महत्ता के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जायेगा जहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत कम है उस बस्ती, ग्राम, विकास खण्ड पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा तथा ऐसे वातावरण का निर्माण किया जायेगा ताकि अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय मे भेज सके।

युवक मंगल दल, नेहरू युवा कल्याण दल, महिला मण्डल दल के माध्यम से रैलियां/गोष्ठियों का आयोजन कर प्रचार प्रसार किया जायेगा

- शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रभात फेरियां निकालकर जन–मानस को जागृत किया जायेगा तथा शिक्षक एवं बुद्धिजीवियों द्वारा बस्तियों में जन–सम्पर्क किया जायेगा।

- स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से पूरे जनपद में प्रचार अभियान चलाया जायेगा।

- ग्राम्य पंचायतों के माध्यम से सर्वशिक्षा से सम्बन्धित आदर्श वाक्य लिखवाने का कार्य प्रत्येक बस्ती एवम् गांवों में कराया जायेगा तथा इसके महत्व को जन–जन तक पहुँचाया जायेगा।

- मुख्य सार्वजनिक स्थान, चौराहों, सरकारी भवनों पर पोस्टर–बैनर एवं विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

- सर्व शिक्षा के प्रचार–प्रसार में जनपद– के प्रशासनिक अधिकारी, जन–प्रतिनिधि शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं स्वयं सेवी संघटनों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

- ग्राम मेलों में सर्वशिक्षा का स्टाल लगाकर प्रचार–प्रसार का कार्य किया जायेगा।

- सिनेमा घरों में स्लाइड्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

- प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों द्वारा बाल सभा के माध्यम से सर्व शिक्षा से सम्बन्धित कार्य का प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इसमें शिक्षकों का भी सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

- गॉव की सफल कहानियों को उद्धरित करते हुए सर्व शिक्षा अभियान सन्देश पत्रिका के माध्यम से झुग्गी–झोपडियों, मलीन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जायेगी तथा सर्व शिक्षा के महत्व को बताया जायेगा।

- जनपद के प्रमुख स्थानों पर विशेषकर सुदूर अंचल में अवस्थित बस्तियों एवं गांवों में सर्व शिक्षा अभियान गेट लगाये जायेगें।

स्थानीय प्रचलित लोक गीतों के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान को व्यापक बनाया जायेगा।

जन सहभागिता एवं वातावरण सृजन हेतु रैलियों, विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरियों एवं मशाल जुलूसों आदि का आयोजन किया जायेगा। समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक मेले, बाल मेले एवं प्रदर्शनी आदि आयोजित की जायेगी। सर्व शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार हेतु नुक्कड नाटक दल एवं प्रेरक समूह तैयार किये जायेगें। गांव के स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक, गीत आदि तैयार करवाकर गांवों एवं बस्तियों में प्रस्तुत किया जायेगा। पोस्टर, गीत, नारों, कहानियों एवं चलचित्रों आदि के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को जन-जन में उजागर किया जायेगा। बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित अन्ध-विश्वासः एवं पूर्वाग्रहों को दूर किया जायेगा। " बालिका का शिक्षित होना बालक से भी अधिक आवश्यक है", अभिभावकों में यह भावना जागृत की जायेगी। सहभागी क्रियाओं एवं अभिनय आदि के माध्यम से उदाहरण देकर प्रस्तुत किया जायेगा कि बेटी भी कर सकती है आपके सपने पूरे, आपके परिवार का नाम रोशन। विद्यालय भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं को विद्यालय न भेजने वाले परिवार वालों का अध्ययन तथा उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जायेगा। क्षेत्र में लगने वाले हाट बाजार, बाल मेलों, प्रदर्शिनियों में शिक्षा सम्बन्धी स्टाल लगाकर आडियो/विडियो कैसेट का प्रसारण तथा प्रदर्शन किया जायेगा। राष्ट्रीय पर्वो, त्यौहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से गाव के प्रतिभाशाली बच्चों को चयन कर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जायेगा। पुस्तकालय, वाचनालय का प्रयोग किया जायेगा। न्यूनतम अधिगम स्तर पर आधारित दक्षताओं, लेखन, सस्वर पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। छात्रों को गणवेश में आने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

ग्राम्य शिक्षा समितियों/नगर शिक्षा सतिमतियों का प्रशिक्षण :

लोकतन्त्र एवं पंचायती राज व्यवस्था में समितियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। शासन एवम् प्रशासन का झुकाव विकेन्द्रीकरण की ओर तेजी से बढ रहा है इसी को दृष्टिगत रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम बस्ती को केन्द्र बिन्दु मानकर कार्यक्रम को चलाया जाना है। इस परिपेक्ष्य मे ग्राम शिक्षा समितियो/नगर शिक्षा समितियो का महत्व बढ जाता है। इनकी सक्रिय सहभागिता से ही योजना का सफल होना सम्भव है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। जनपद स्तर पर जिला एवम् प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा शिक्षा मे कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। ये अधिकारी एवं सम्बन्धित व्यक्ति ब्लाक संसाधन केन्द्र पर समूह प्रमुख की अध्यक्षता मे समन्वयक सह समन्वयक एवम् सकुल प्रभारी को प्रशिक्षित किया जायेगा। ये प्रशिक्षण पाकर करने के पश्चात

सन्दर्भदाता के रूप में न्याय पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समितियों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेगें ताकि यह कार्यक्रम धरातल पर सुनियोजित रूप से अनवरत चलता रहे।

नगर क्षेत्र में परिवार सर्वेक्षण :

सर्वशिक्षा अभियान हेतु कराये जाने वाले नगर क्षेत्र में परिवार सर्वेक्षण का उद्देश्य नगर क्षेत्र विद्यालय न जाने वाले बच्चों का चिन्हित करना है। विद्यालय न जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण नगर क्षेत्र में किया जायेगा जिसमें निम्नांकित स्थितियों का वार्डवार सम्पूर्ण विवरण एकत्र किया जायेगा।

1. विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या

2. ड्राप-आउट करने वाले बच्चों का नाम एवं संख्या तथा उनका स्तर

0----------0

अध्याय – 9
गुणवत्ता के लिए नियोजन

चन्दौली जनपद का सृजन मई 1997 को हुआ। इसके पूर्व यह वाराणसी जनपद का अंग था। जनपद मुख्यालय पर डायट स्थापित नहीं है तथा पूर्व में जनपद चन्दौली को डायट सारनाथ वाराणसी द्वारा अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाता था।

चन्दौली जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 9 बी.आर.सी. तथा 102 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रिओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षों, दृश्य–श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग–समर्थन की व्यवस्था–

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता हैं। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रति माह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा–

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6–8 तथा 1–5 के बच्चों की शैक्षिक

आवश्कताओं–कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।

3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद में यू.पी.–बी.ई.पी. में 60 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ0प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबंधित एन.पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय–सारिणी में अनुकूलता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु0 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु0 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये–

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक–बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम

शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद अलीगढ़ में डायट के नेतृत्व 622 शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:–

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति – संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तक बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकों पार्जन कार्य में लगे रहते हैं प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु-ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थी वे इस प्रकार हैं –

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रदान प्रशिक्षण किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत् शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों– परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का विवरण :

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान कराना एवं जिन पाठ्य वस्तुओं को अध्यापक भूल गया है उसका बोध कराना था। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष नियमित व्यवस्था की गई थी। जिसका उल्लेख इस प्रकार है।

प्रथम चक्र

प्रथम चक्र में "प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य करें। डायट में यह प्रशिक्षण 15 दिनों का था। इस प्रशिक्षण के निम्न लक्ष्य थे :–

1. शिक्षण अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी प्राथमिक शिक्षकों को देना।
2. विद्यालय को आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सके।
3. शिक्षा को जीवन से जोड़ा जा सके।
4. विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
5. स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

द्वितीय चक्र :

विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा प्रशिक्षण में नौ दक्षताओं पर बल दिया गया। कक्षा 01 से 05 तक के पाठों का विकास दक्षता आधारित हुआ है। ये दक्षतायें निम्न है – जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों को समझना, व्यवहारिक व्याकरण, स्वः अधिगम, भाषा प्रयोग, शब्दावली नियन्त्रण आदि समाहित था।

इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, विचार के साथ–साथ बच्चे को अपने दैनिक जीवन में प्रभावी ढंग से भाषा का प्रयोग करना आ जाता है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्र भाषा में प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लें।

तृतीय चक्र :

अनुपूरक अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था। छात्रों में रूचि का विकास करना और पढ़ी गयी विषय वस्तु को भली भाँति समझ लेना। शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ कक्षा 01 से 05 तक के छात्रों के लिए भाषा में अनुपूरक अध्ययन सानग्री के रूप में इन्द्र धनुष पुस्तिका उपलब्ध करायी गयी।

चतुर्थ चक्र :

1. एक क्रिया कलाप द्वारा कई सम्बोधों को स्पष्ट करने के कौशलों का विकास करना।
2. गणित के पाँच अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्याओं का समझना, जोड़ने, घटाने, गुणा तथा भाग की संक्रियाएं, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र एवं समय का मापन, दशमलव एवं प्रतिशत तथा ज्यामिति आकृति की जानकारी बच्चों को किस प्रकार दी जायेगी तथा इन सम्बोधों को कैसे स्पष्ट किया जायेगा और इन पर कौन–कौन सी क्रियाएं करायी जा सकती हैं, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।

लक्ष्य :

4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल

9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रूचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सके।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास
2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करनां।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

जनपद में बी.ई.पी. परियोजना के अन्तर्गत डायट वाराणसी द्वारा चंदौली जनपद के शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की स्थिति इस प्रकार है।

चक्र	स्तर तथा संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
प्रथम	2378	586
द्वितीय	2419	525
तृतीय	2513	
चतुर्थ	2361	
पंचम	2755	

स्रोत : डायटए वाराणसी

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण –

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनकों विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया–

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉडयूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं–

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
- विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
- वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।
- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका–

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर–विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त सन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं–

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रूचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये

प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गईं इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु0 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटीरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

ऐक्शन रिसर्च :

ऐक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा–कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत–प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा हैं। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के भय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला हैं लेकिन जनपद में लगभग 1.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है–

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।
2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

शैक्षिक योग्यता :

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी – 1

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

		प्राथमिक स्तर के शिक्षक	उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक
1.	शिक्षकों की कुल संख्या	2755	711
2.	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	61	00
3.	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	490	02
4.	केवल इण्टर उत्तीर्ण अप्रशिक्षित	48	00
5.	स्नातक अप्रशिक्षित	17	00
6.	(क) विज्ञान शिक्षक	–	70
	(ख) संस्कृत शिक्षक/उर्दू शिक्षक	31	48
7.	परास्नातक अप्रशिक्षित	05	00
8.	इन्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित	1215	383
9.	स्नातक एवं प्रशिक्षित	491	132
10.	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	397	76

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली ।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 'स्नातक' तथा 'प्रशिक्षित' (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 69 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में हाईस्कूल/इण्टर एवं स्नातक अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों की संख्या 0.28 प्रतिशत है, जबकि इन्टर प्रशिक्षित 53.8 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षित 18.6 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 10.7 अध्यापक कार्यरत है। विगत कई वर्षों से बी.टी.सी प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है जबकि ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 70 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित हैं या तो इससे कम योग्यता के लोग कार्यरत हैं। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

जनपद में शिक्षण अनुभवों के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार है।

सारणी 2

	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक विद्यालय में	उच्च प्राथमिक विद्यालय में
1.	5 वर्ष से कम	704	14
2.	5 वर्ष से 10 वर्ष तक	348	82
3.	10 वर्ष से 15 वर्ष तक	407	85
4.	15 वर्ष से 20 वर्ष तक	317	72
5.	20 वर्ष से 25 वर्ष तक	275	78
6.	25 वर्ष से 30 वर्ष तक	344	144
7.	30 वर्ष से अधिक	360	236

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली ।

उपर्युक्त सारिणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे है वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके वितरीत नये अध्यापक बाल केन्द्रित शिक्षा पर ध्यान देते है और कक्षा में गतिविधि अधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद चन्दौली में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षकों की संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है –

सारणी – 3

	एकल शिक्षक विद्यालयों की सख्या	दो शिक्षक विद्यालयों की सख्या	तीन शिक्षक विद्यालयों की सख्या	चार शिक्षक विद्यालयों की सख्या
प्राथमिक विद्यालय	98	198	190	124
उच्च प्राथमिक	30	21	35	30

स्त्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 12 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभग25 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है, जहां दो ही शिक्षक कार्यरत् है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों को संख्या काफी अधिक है। जहां प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 98 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा–2 एवं कक्षा–5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते

हैं, 1992–93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में, निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया, जिनकी उपलब्धि निम्न तालिकाओं में दर्शायी गयी है।

सारणी 2 (क)

कक्षा–२ – भाष		कक्षा–२ – गणित	
उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत	उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत
0–10	0.0	0–10	0.0
10–20	0.0	10–20	0.0
20–30	0.0	20–30	0.12
30–40	0.0	30–40	0.00
40–50	0.0	40–50	0.36
50–60	0.0	50–60	0.12
60–70	0.0	60–70	0.36
70–80	0.9	70–80	3.32
80–90	10.0	80–90	11.98
90–100	89.2	90–100	83.38

श्रोत : एफ.ए.एस., 2000, एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अन्तिम मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर कक्षा–2 के भाषा परीक्षा में 50.4 प्रतिशत बालक और 49.3 प्रतिशत बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। जिसकी कुल संख्या 425 और 418 कुल योग 843 रहा। इसमें सभी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 25.0 पिछड़ी जाति का प्रतिशत 64.7 तथा अन्य का प्रतिशत 10.3 है। कक्षा–2 भाषा में विद्यार्थियों का उपलब्धि का औसत 94.5 प्रतिशत है। ग्रमीण क्षेत्रवार उपलब्धि 94.5 प्रतिशत है। लिंगवार इनकी उपलब्धी का प्रतिशत 94.5 व 94.3 प्रतिशत है। जातिवार अनुसूचित जाति की उपलब्धि का प्रतिशत 93.5 है। पिछड़ी जाति का 94.64 पतिशत है तथा अन्य 93.40 प्रतिशत है। कक्षा–2 के गणित परीक्षण में कुल 83 बच्चों ने भाग लिया जिनमें उनके उपलब्धि का प्रतिशत 94.57 है। लिंगवार बालक–बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 94.92 और 94.21 है। जातिवार उपलब्धि अनुसूचित जाति 94.08 पिछड़ी जाति का 94.50 अन्य का 96.22 प्रतिशत है।

सारणी 2 (ख)

कक्षा–२ – भाषा		कक्षा–२ – गणित	
उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत	उपलब्धि स्तर	छात्रों का प्रतिशत
0–10	0.0	0–10	0.0
10–20	0.0	10–20	0.0
20–30	0.0	20–30	0.0
30–40	0.0	30–40	0.0
40–50	0.0	40–50	0.0
50–60	0.0	50–60	0.0
60–70	0.0	60–70	0.5
70–80	0.9	70–80	2.6
80–90	10.0	80–90	16.0
90–100	89.2	90–100	77.9

श्रोत : एफ.ए.एस., 2000, एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0

चन्दौली जनपद में कक्षा 5 की भाषा परीक्षण में कुल 1172 बच्चों ने प्रतिभाग किया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के इनकी उपलब्धि का प्रतिशत 95.19 है। लिंगवार इनकी उपलब्धि बालक एवं बालिकओं की क्रमशः 95.21 और 95.17 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति की उपलब्धि का प्रतिशत 95.58 है। पिछड़ी जाति 95. 14 है तथा अन्य का 94.77 है। कक्षा 5 के गणित परीक्षण में कुल 1172 बच्चों ने प्रतिभाग किया जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इनकी उपलब्धि का प्रतिशत 94.22 है। लिंगवार इनकी उपलब्धि बालक और बालिकाओं का क्रमशः 94.23 प्रतिशत और 94.21 प्रतिशत है। अनूसूचित जाति के उपलब्धि का प्रतिशत 94.32 पिछड़ी जाति का 94.12 तथा अन्य का 94.49 प्रतिशत है।

सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.ए.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशातीत वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त बृद्धि हुई है।

'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष :

ए स्टडी आफ क्लासरूम प्रोसेसेज, सीमेट 1998–99 तथा 'क्लासरूम आब्जवैशन स्टडी, एस0 सी0 ई0 आर0 टी0 के आधार पर जनपद में निम्नांकित निष्कर्ष उल्लेखनीय है :

1. सर्वेक्षण की तिथि को 95 प्रतिशत अध्यापक उपस्थित पाये गये। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षा एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते पाये गये। कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बालक पठन–पाठन कार्य में रूचि ले रहे थे। शिक्षक समय से उपस्थित पाये गये। कक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था में शिक्षक मेधावी छात्रों को पीछे और कमजोर छात्रों को आगे बैठाते हैं। विशेषकर बालिकाओं को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है।

2. इस व्यवस्था में कमजोर बच्चे लाभान्वित थे। शिक्षक कठिन शब्दों का निराकरण पूछकर श्यामपट्ट पर लिखता है। पठन–पाठन को समूह में बारी–बारी पढ़ाते हैं। मेधावी बच्चों के सहयोग से समूह में उच्चारण दोष का निराकरण करते हैं तथा शिक्षक स्वयं भी उच्चारण करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रखते हैं। प्रश्नोत्तर एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बाजार से बनी हुई सामग्री का प्रयोग हो रहा है। कुशल अध्यापक ही केवल स्व निर्मित सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के अध्यापक शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद में बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता–पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता–पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते है। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते है। जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है। इस लालच में पड़े माता–पिता अपने बच्चों की शिक्षा पूरा करने में असमर्थ रहते है।

बाल श्रमिक बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई–

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विधा को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विधा से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना हैं कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद चन्दौली में 6–14 वयवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं–

1. 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा

समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद– विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्नियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार–अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6–8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएँ बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण–

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षामित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. वीजनिंग कार्यशालाएं– 3 दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक–एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं–एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला – एक दिवसीय – एन.पी.आर.सी. स्तर पर

4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 42 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 42 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा समाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 43 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।
3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य–श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 45 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 45 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. प्रत्येक विद्यालय से एक –एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा–भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15–20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक–अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय–प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक–शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे–

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय–वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 14 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयें के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना

तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर. सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ–साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन. पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेंगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 15 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का

प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी. ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है–

1. **शिक्षामित्र /आचार्य जी प्रशिक्षण–** जनपद के 783 शिक्षामित्रों तथा 60 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।

2. **वैकल्पिक शिक्षा –** जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 37 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।

3. **ई.सी.सी.ई केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण –** पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

   ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग । व ।।) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय को संवेदीकरण, 3–6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक–संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत

समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन–चार वर्षो तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. **बी.आर.सी/ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण**– बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी. आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय–समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।

5. **ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण**– जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए एस.डी.आइ. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियेन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉडयूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस. डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं– अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई. जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।

6. **ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण** – स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेगें। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.–।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण

आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित.सदस्य प्रतिभाग करेंगे– ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों की और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्नियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी.एम. के आदेश पर 10 दिन का शीतावकाश के लिए बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 179 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी – 4

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

	प्राथमिक स्तर वादन /समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा–1 हिन्दी	9 वादन 6 घण्ट	6 वादन/4 घण्टे 30 मिनट
भाषा–2 अंग्रेजी	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	6 वादन/4 घं. 30 मि.
भाषा–3 संस्कृत	5 वादन/3 घण्टे 20 मि.	4 वादन/3 घं.
विज्ञान	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
गणित	9 वादन / 6 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
सामाजिक विषय	6 वादन / 4 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
समाजपयोगी कार्य	3 वादन / 2 घण्टे	6 वादन/4 घं. 30 मि.
कला शिक्षण	5 वादन / 3 घण्टे 20 मि.	8 वादन/6 घं.

स्रोत – डायट, चन्दौली

सारणी – 5

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक.
कुल कार्य दिवस	220 दिन	स्तर
परीक्षा	08 छमाही सालाना	220 दिन
अन्य कार्य	15	12
नष्ट हो जाने वाले	10 दिन डी.एम. के विशेष	05
दिन	आदेश पर	10
समुदाय से सम्पर्क	08 दिन	08
शिक्षण दिवस	179 दिन	185

स्रोत – प्राथमिक विद्यालय, चन्दौली

उपर्युक्त सारिणी–5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 179 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 185 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों की क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण सयम से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय–गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नुरूप पाठ्यपुस्तकें वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 50 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक–संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 2.50 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1–5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ0प्र0 द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा

कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6–8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस0सी0ई0आर0टी0 के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001–02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 1 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 60 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ठ एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7– गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका –

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना –

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय तथा अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एन.आई. एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना –

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी., एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध–मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के कियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करना, शिक्षकों से प्राप्त संसाधन समूह गठित किया गया है जिसनें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञा शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

एक्शन रिसर्च :–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं–

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपरान्ह सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।

7. कार्य–निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल–परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण –

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्जित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना –

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्रीं का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रकिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/– अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/– शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन –

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री

निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी–

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र–छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा–कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन –

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद हैं। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग –

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का

विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रिपीटेशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर किये जायेगे तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहगोग से बनाये जायेगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु "सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक–प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्–विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है–

क्र.सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षामित्र, आचार्यजी	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधारभूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ	07 दिन

	प्रशिक्षण	तथा सहायिकाएं	
7.	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण	ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई.	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण	बी.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 माह
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण	नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मेटीरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक	05 दिन
20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य–दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला	बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु 'सेल्फ लर्निंग मेटीरियल' का विकास संबंधी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला	बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी. आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगे। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण– आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका–

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम –

वर्ष 1994–95 में चंदौली जनपद में विकासखंड शहाबगंज में 13 प्रा0 वि0 में तीन वर्ष के लिए बालिकाओं के लिए कार्यनुभव कार्यक्रम (सिलाई, कढ़ाई, बुनाई) संचालित कर प्रशिक्षण दिया गया। बालिकाओं के लिये कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिस स्थान पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नही हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में तीन तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों /कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होगें। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री– उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/ कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरांत अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

परिशिष्ट – १

अकादमिक पर्यवेक्षण और श्रेणीकरण

ब्लाक का नाम	स्कूलों की संख्या	स्कूल की संख्या जिनका निरिक्षण हुआ			
		श्रेण			
		ए	बी	सी	डी
चन्दौली	93	30	10	12	8
नियामतावाद	88	26	04	12	10
बरहनी	90	20	03	07	09
सकलडीहा	85	15	14	12	08
धानापुर	93	20	15	10	05
चहनिया	94	21	17	12	07
चकिया	96	18	13	11	05
शहाबगंज	91	14	16	07	09
नौगढ़	62	12	8	06	02

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप–जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से कार्य निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक–एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार की धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र– छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

जनपद चन्दौली में इस समय ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है। जो ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद में संचालित था, वह ज़िले के विभाजन के फलस्वरूप जनपद वाराणसी में चला गया है।इसलिये जनपद में नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यावश्यक है। ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नवीन स्थापना हेतु धनराशि का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नहीं किया गया है। नवीन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु टीचर एजूकेशन स्कीम के अन्तर्गत पृथक से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एंव उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एंव प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें। प्रवंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें। इससे सबसे निचले स्तर पर जवावदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणालीः-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अबाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

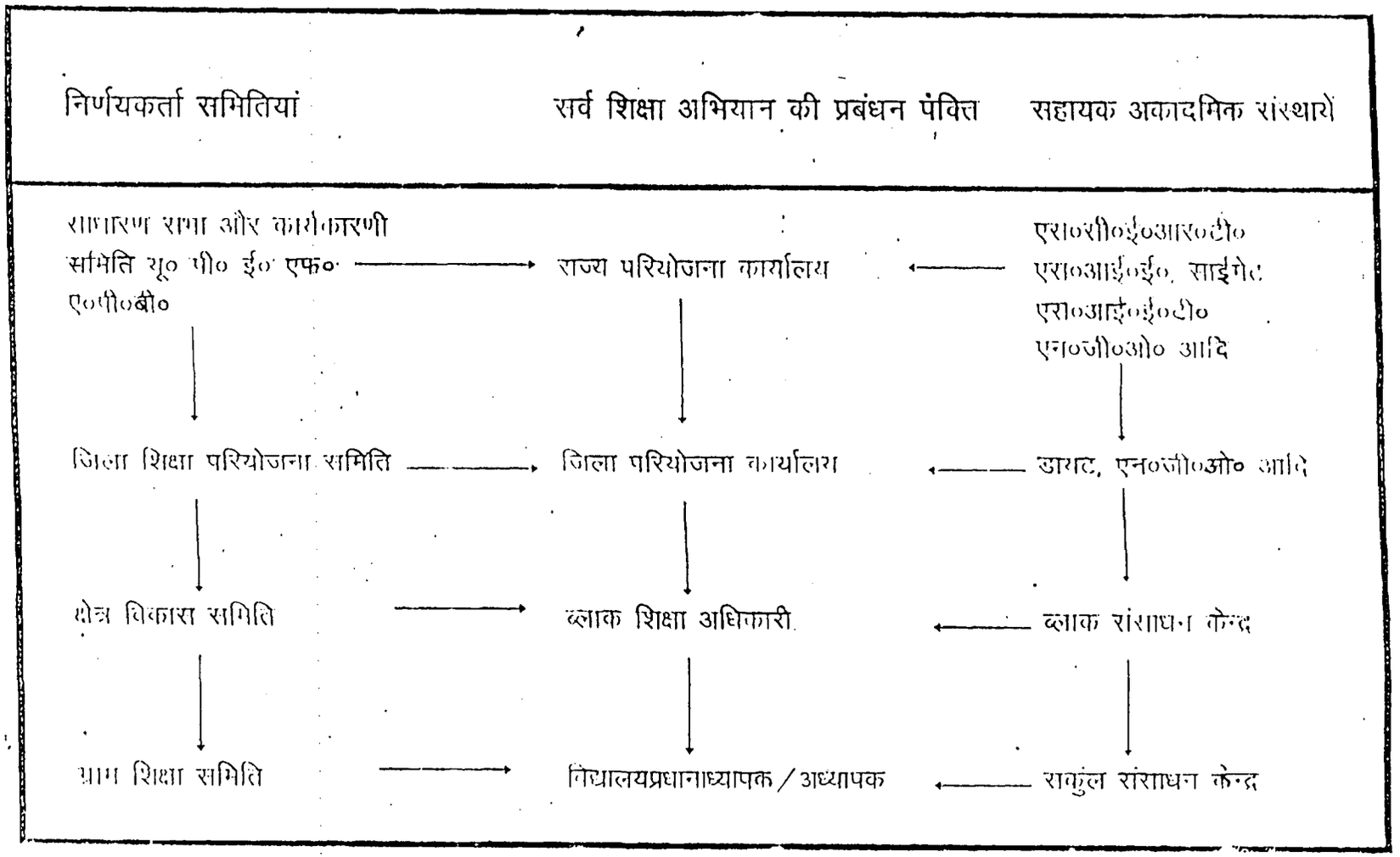
निर्णयकर्ता समितियां
सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति
सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारणी समिति यू० पी० ई० एफ० ए०पी०बी०
राज्य परियोजना कार्यालय
एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साईमेट
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि
जिला शिक्षा परियोजना समिति
जिला परियोजना कार्यालय
डायट, एन०जी०ओ० आदि
क्षेत्र विकास समिति
ब्लाक शिक्षा अधिकारी
ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति
विद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक
क्लस्टर संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान : अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वंहा एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी-

(क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

(ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

(ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

(घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

(ड़) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उटाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

(छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सोपे जायें।

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एंव शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एंव सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारभिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एंव अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एंव दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है-

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य - सचिव

3. विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान सदस्य

4. विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्न एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। ।यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के दीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरादायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरादायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरादायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एंव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेगें तथा ई0जी0एस0 एंव ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एंव छात्राओं का विवरण एंव कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगें। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मेटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हे ई0जी0एम0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अर्न्तगत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके है। सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यो के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एंव विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रूपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एंव दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिशित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराईज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समितिः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एंव रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

- ❖ जिलाधिकारी - अध्यक्ष
- ❖ मुख्य विकास अधिकारी - उपाध्यक्ष
- ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य-सचिव
- ❖ प्राचार्य डायट - सदस्य
- ❖ जिला श्रम अधिकारी - सदस्य
- ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य
- ❖ वित्त एंव लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) - सदस्य
- ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्लू0डी0) - सदस्य
- ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
- ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एंव महाविद्यालय से) - सदस्य

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एंव दायित्वः-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होगें। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवंधन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एंव प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेगें। यह समिति जिले के अर्न्तगत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एंव निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अर्न्तगत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

1.	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य - सचिव
3.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।	सदस्य
8.	विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा।	सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अर्धीक्षण और निर्देशो के अधीन रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाऐं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्यन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावनयन करेंगे। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमे तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन	जिला परियोजना अधिकारी
2.	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	1	प्रतिनियुक्ति पर
3.	समन्वयक	4	प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4.	सलाहकार	2	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
5.	ई.एम.आई.एस अधिकारी	1	रू. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/ सांख्यिकी सहायक	3	रू. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद
7.	सहायक लेखाधिकारी	1	प्रतिनियुक्ति पर
8.	लिपिक	1	नियत मानदेय के आधार पर
9.	परिचारक	1	नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अर्न्तगत कोई भी पद सृजित नही है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी /जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगें तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होगें तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगें।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति-उप विद्यालय निरिक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह करेंगें। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निमार्ण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उददे्श्य सें तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निमार्ण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हे मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निमार्ण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नही दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एंव क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफटवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकंडे उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफटवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकडों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एंव उपयुक्त ई0एम0आई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एंव वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एंव तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपार्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिर्पोट तैयार

कर सकेा वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकडों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एंव अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षणः-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकुल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर **पर** प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हे ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हे भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकडों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकडों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेगें।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एंव बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगें।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के **प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेगें।**

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेजमेंन्ट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एंव बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एंव दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मेंनेजमेंन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकडों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांचः-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आकडों को एकत्रित किया जायेगा एंव कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एस0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयें से प्राप्त भरें हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी यह सही है। अप्रत्यक्ष रूप मे यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकडों का उपयोगः-

ई0एम0आई0एस0 आंकडों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेट्र्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होगें। इन इन्डीकेट्र्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकडों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकडों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकडों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अभीष्ट होगा। ई0एम0आई0एस0 एंव माईक्रोप्लानिंग के आंकडों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित बस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकडों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एंव सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडीः-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टमः-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आर्कषित किया जायेगा तथा प्रगति को बढाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अर्न्तगत एल0ऐ0सी0आई0 (LACI) के अर्न्तगत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 पयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिगोजना के अर्न्तगत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सृदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अर्न्तगत इसके निम्नलिखित कार्य होंगेः-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिले स्तर पर अन्य विभागो एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।

11. शैक्षिक आकडों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेट के अप्रेजल के पश्चात एंव उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एंव बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एंव एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वंम सेवी सस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित है। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एंव उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी सयुंक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिय शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एंव प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनायें जायेगें तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेगें। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खातें पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एंव व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

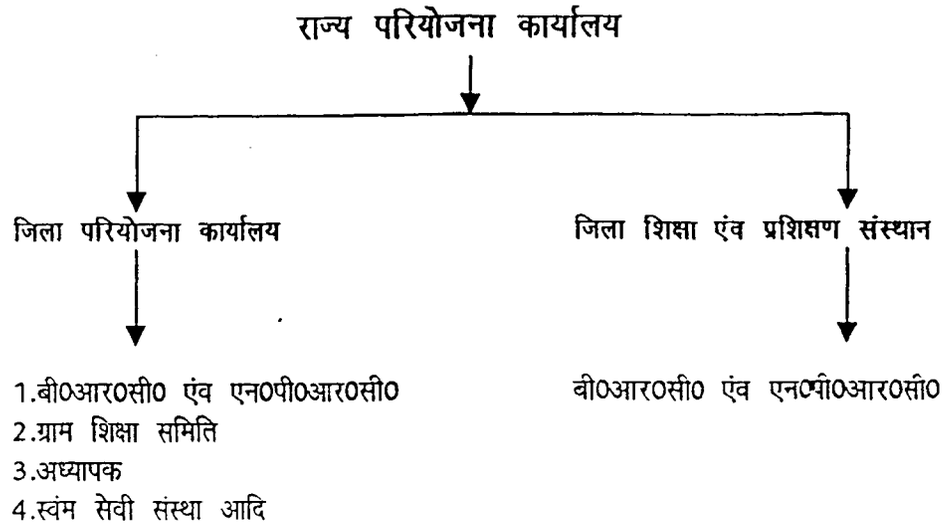

सम्प्रेक्षण व्यवस्थाः-

उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तिय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफ्रैन्स फार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापनाः-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरिक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेगें। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपार्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षो के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनायें जायेंगें।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगें।

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2002 (Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
	Updation of Micro Planning Data	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
	Primary - Including all models of DPEP	0.705 per Child	1500	1058	1800	1269	1200	846	600	423			5100	3596
	Upper Primary	1.0 per Child	600	600	1110	1110	1110	1110	510	510	510	510	3840	3840
A4	Back to School Campaign	1.50 per Child	100	150	150	225	200	300	100	150	50	75	600	900
	Innovation for EGS	50	1	50									1	50
A5	Bridge / Remedial Courses	1.50 per Child	50	75			50	75					100	150
A6	Strengthening / Maqtab / Madarsa												0	0
	Sub Total (A)		**2619**	**49984**	**3317**	**31129**	**2817**	**30856**	**1468**	**29808**	**817**	**29110**	**11038**	**170887**
(R)	**RETENTION**												0	0
	Additional Classroom	70	100	7000	347	24290	200	14000	200	14000			847	59290
	Additional Teachers Primary Schools	7	17	1071	472	39648	655	55020	840	70560	840	70560	2824	236859
	Shiksha Mitra Primary Schools	2.25	20	405	472	12744	655	17685	840	22680	840	22680	2827	76194
R1	Toilets	10	30	300	300	3000	200	2000	200	2000			730	7300
	Rec. of UPS	383	8	3064									8	3064
R2	Drinking Water	18	50	900	68	1224							118	2124
	Repairs (PS+UPS)													

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2
002

(Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
	Minor	20	50	1000	18	360							68	1360
	Major	70	10	700	25	1750							35	2450
	Rec. of PS	191	10	1910	19	3629							29	5539
R3	Maintenance of School	5 PA per School	977	4885	318	1590	318	1590	318	1590	318	1590	2249	11245
R3	Boundary Walls (PS+UPS) Girls School													
R4	School Improvement Grant (PS)	2 PA per School	800	1600	805	1610	805	1610	805	1610	805	1610	4020	8040
	School Improvement Grant (UPS)	2 PA per School	177	354	227	454	227	454	227	454	227	454	1085	2170
R5	Innovative Programmes (up to max Rs. 50 Lacs)	5000 per Districe				5000		5000		5000		5000	0	20000
	Promoting Girls Education												0	0
	Summer Camps	10 per Camp	10	100	15	150	15	150					40	400
R6	MCDA including Gender Senitization	75 per Cluster	4	300	4	300	4	300					12	900
R7	Supw for Girls	25 per School	20	500	20	500	20	500	15	375	15	375	90	2250
R9	Cpening of ECCE Centres In Non-ICDS Block	18 per Centre											0	0

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2002 (Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	Strengthening CDs Centre												0	0
2	Development and Distribution of ECCE Maternals (1 Yr.)	100 per district	1	100									1	100
4	Civil Work (One Additional Room)	70											0	0
5	TLM	5 Per Centre	20	100	20	100	20	100					60	300
6	Additional Honorarium (Instructor + Worker)	0.375 per Centre	20	90	40	180	60	270	60	270	60	270	240	1080
7	Contingency / Recurrent Grant	1.50 per Centre			20	30	40	60	60	90	60	90	180	270
8	Training of ECCE Instructor (at BRC)												0	0
	Induction	3	20	60	20	60	20	60					60	180
	Recurring	12			20	24	40	48	60	72	60	72	180	216
R10	Community Mobilisation												0	0
1	MTA/PTA Training	0.007	350	2	400	3	400	3	200	1			1350	9
2	Kala Jatha (VEC, Block Level & Dist. Level)	8 per NPRC	52	416					50	400	52	416	154	1232
3	Development of Awareness Material	5 per Block	8	40			8	40			8	40	24	120
4	Bal Mela at NPRC	5 PA per NPRC	102	510	102	510	102	510	102	510	102	510	510	2550

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2
002

(Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
5	Production of Audio Tapes	10 per District					1	10					1	10
6	Production of Video Tapes	10 per District	1	10			1	10			1	10	3	30
8	Assistance to NGOs for Community Mobilisation	50 per District											0	0
R11	Award to Best VEC (2 Nos.)	25	2	50	2	50	2	50	2	50	2	50	10	250
R12	Award to Best Shikshak Mitras	5	3	15	3	15	3	15	3	15	3	15	15	75
R12a	Award to Best BRC	10 per Block	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
R12b	Award to Best NPRC	7 per Block	9	63	9	63	9	63	9	63	9	63	45	315
R12c	Award to Best Teacher	5 per Block	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	45	225
R13	Remedial Teaching of SC/ST Children	0.705 per Child	300	212	300	212	300	212	300	212			1200	846
R14	Assistance to NGOs for SC/ST Education	0.705 per Child											0	0
R15	provision for Disable Children	120 per child	400	480	996	1195	996	1195					2392	2870
1	Assistance to NGOs for Integrated / Inclusive Education	120 per child											0	0
R16	Computer Education for UPS Composite School	100	5	500	10	1000	10	1000	10	1000	10	1000	45	4500
	School Health Check Up (UPS+PS)	0.500 per school	974	487	1044	522	1124	562	1224	612	1272	636	5638	2819

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2002 (Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
	Book Bank & School Library	5.0 per School											0	0
	Sub Total (B)		**4560**	**27279**	**6106**	**100268**	**6245**	**102572**	**5535**	**121619**	**4694**	**105496**	**27140**	**457233**
(Q)	**Quality Improvement**													
Q1	Training Programmes													
1	Induction Training for Shiksha Mitra - 30 days	0.07 per person per day	137	288	334	701	183	384	185	389	192	403	1031	2165
2	Induction Training for Assistant Teacher - 6 days	0.07 per person per day	137	58	335	141	183	77	185	78	192	81	1032	435
3	Induction Training for Head Teacher PS - 6 days	0.07 per person per day	50	21									50	21
4	Induction Training for Head Teacher UPS - 6 days	0.07 per person per day	75	32	100	42	48	20					223	94
5	In-Service Teachers Training (PS+UPS) - 10 Days	0.07 per person per day	1845	1292	4163	2914	4346	3042	4531	3172	4550	3185	19435	13605
6	Refresher Training of Shiksha Mitra - 15 days	0.07 per person per day					471	495	654	687	839	881	1964	2063
7	Induction Training for EGS/AIE Worker - 30 days	0.07 per person per day	30	63	10	21							40	84

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2
002

(Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
9	Refresher Course for EGS/AIE Worker - 15 Days	0.07 per person per day	20	21	50	53	60	63	60	63			190	200
10	Training of BRC Coordinators - 10 Days	0.07 per person per day											0	0
11	NPRC Coordinator Training - 10 Days	0.07 per person per day											0	0
12	Refresher Training for BRC Coordinators - 5 days	0.07 per person per day	9	3	9	3	9	3	9	3	9	3	45	16
13	Refresher Training for NPRC Coordinators - 5 days	0.07 per person per day	102	36	102	36	102	36	102	36	102	36	510	179
14	Training of Resources Person at DIET - 20 Days	0.07 per person per day	20	28	20	28	20	28					60	84
15	Staff Development Training for DIETs - 7 days	0.300 per person per day	25	53	25	53			25	53			75	159
16	BRC/NPRC Coordinator Management Training by SIEAT - 5 Days	0.300 per person per day	40	60	31	47							71	107
17	ABSA/SDI Training - 5 Days	0.07 per person per day			12	4			12	4			24	8

PROJECT COST

SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)

CHANDAULI

26.6.2002

(Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
18	Training for AE/JE - 5 days	0.07 per person per day											0	0
19	Teacher Training in Computer UPS/DIET Faculty - 28 days	1.50 per person	15	23	15	23	15	23	15	23	15	23	75	115
20	Orientation of VECs/Ward Committee - 3 days	0.03 per person per day	1642	148	1642	148	1642	148			1642	148	6568	592
21	Training of RCI (IED)	70.00 (45 Days)	10	700	5	350							15	1050
22	Teachers Orientation in IED (5 Days)	0.07	866	303									866	303
23	AWPB Review & Training for Core Planning Terms by SIEAT - 7 Days	0.500 per person per day	8	28	8	28	8	28	8	28	8	28	40	140
24	Training of EMIS by SIEMAT (5 Days)	0.500 per person per day					8	20					8	20
25	Teachers ABSA/BRC/ NPRC Staff Training for Gender Sensitization (3 Days)	0.07 per person per day	1200	252	355	75							1555	327
Q2	Teaching Learning Material												0	0
1	Teacher Grant (PT+SM)	5	3965	1983	4300	2150	4468	2234	4860	2430	4916	2458	22509	11255
2	Teacher Grant (UPS)	5	911	456	1311	656	2111	1056	2303	1152	2303	1152	8939	4470

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2
002

(Rs. in
Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
3	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (PS)	0.150 per child per year	158800	23820	168865	25330	172322	25848	175855	26378	179476	26921	855318	128298
	Free Text Book to SC/ST Children & Girls (UPS)	0.150 per child per year	44178	6627	54573	8186	59638	8946	64898	9735	71773	10766	295060	44259
4	Supplementary Reading Material (PS)	0.5	820	410	850	425	850	425	850	425	850	425	4220	2110
5	Supplementary Reading Material (UPS)	1	224	224	274	274	374	374	422	422	422	422	1716	1716
6	Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS) + Teachers Guide	LS					1	1000					1	1000
7	Printing & Distribution of Training Modules (PS+UPS)	160	1	160	1	160	1	160	1	160	1	160	5	800
8	Printing & Distribution of Trainers Guide (PS+UPS)	160					1	160					1	160
9	Developent, Printing and Distribution of AS Training Modules	10	1	10	1	10							2	20
10	Children Learning Evaluation (PS) 3 Times in 10 Years	400 each									1	400	1	400
11	Children Learning Evaluation (UPS) 3 Times in 10 Years	400 each									1	400	1	400
12	School Awards	25	9	225	9	225	9	225	9	225	9	225	45	1125

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2002 (Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
	Sub Total (C)		215140	37322	237400	42082	246870	44795	254984	45463	267301	48117	1221695	217778
C1	DIET													
	New DIET													
	Civil Work	5000											0	0
1	Furniture	100											0	0
2	Equipments (Including Audio Visual)	300											0	0
3	Computer Work Station	600											0	0
4	Vehicle (where applicable)	350											0	0
5	Hiring	5											0	0
6	POL	30											0	0
7	Maintenance of Vehicle	20											0	0
8	Research / Action Research	200											0	0
	Seminars	200											0	0
9	Faculty Development	30											0	0
10	Exposure Visit	50											0	0
	Publications	400											0	0
11	Library	25											0	0
	Contingency	100											0	0
12	Salary of Computer Operator	7											0	0
13	Salary of Driver (Where Applicable)	4											0	0

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2
002

(Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
14	Consumables / Computer Stationery	10											0	0
	Total		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C2	**Block Resource Centre**												0	0
1	Civil Construction	800											0	0
2	Salary Coordinator	6.5											0	0
3	Asstt. Coordinator - 1 No.	9	9	972	9	972	9	972	9	972	9	972	45	4860
4	Chowkidar	3											0	0
5	Equipment Furniture	100											0	0
6	Travelling Allowance	5	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	45	225
7	Maintenance of Equipments	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45	45
8	Maintenance of Building	6	9	54	9	54	9	54	9	54	9	54	45	270
9	Books	10					9	90					9	90
10	Monitoring & Supervision	0.300 per School	1044	313	1124	337	1224	367	1272	382	1272	382	5936	1781
11	Consumables	5	9	45	9	45	9	45	9	45	9	45	45	225
12	Contingency	12	9	108	9	108	9	108	9	108	9	108	45	540
13	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators	0.300 per meeting	108	32	108	32	108	32	108	32	108	32	540	162
	Total		**1206**	**1579**	**1286**	**1603**	**1395**	**1723**	**1434**	**1647**	**1434**	**1647**	**6755**	**8198**

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2
002

(Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
C3	**School Complex (NPRC)**												0	0
1	Construction	200											0	0
2	Salary Coordinator	65											0	0
3	Equipment / Furniture	10											0	0
4	Book for Library	5			102	510			102	510			204	1020
5	Contingency	25	102	255	102	255	102	255	102	255	102	255	510	1275
6	Monthly Review Meeting at CRC	0.200 per meeting	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	1224	245	6120	1224
7	Monitoring & Supervision	0.200 per School	1044	209	1124	225	1224	245	1272	254	1272	254	5936	1187
	Total		**2370**	**709**	**2552**	**1235**	**2550**	**745**	**2700**	**1264**	**2598**	**754**	**12770**	**4706**
C4	**District Project Office**												0	0
1	Staffing - Coordinators - 4 Consultants - 2 AAO Driver - 1 (if Vehicle is purchased)	88x12	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	1	1056	5	5280
2	Equipment	50	1	50									1	50
3	Furniture & Fixtures	50											0	0
4	Books	10						10					0	10
5	Purchase of Vehicle (only kanpur City Lucknow)	350											0	0

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2002

(Rs. in Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
6	Motorcycle	50											0	0
7	Travelling Allowances	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
8	Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
9	Telephone / Fax	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	5	150
10	Vehicle Maintenance & POL	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	5	250
11	Salary of Driver	4	12	48	12	48	12	48	12	48	12	48	60	240
12	Honorarium of AE/JE (for 3 years)	6 per Block	108	648	108	648							216	1296
13	Maintenance of Equipment	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
14	Hiring of Vehicles	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25
15	Supervision and Monitoring	0.158 per School	1044	165	1124	178	1224	793	1272	200	1272	200	5936	1536
16	Contingency	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	5	50
17	Research & Evaluation	0.300 per school	1042	313	1124	337	1224	367	1272	382	1272	382	5934	1780
	Total		**2215**	**2430**	**2376**	**2417**	**2468**	**2424**	**2564**	**1836**	**2564**	**1836**	**12187**	**10942**
C4.1	MIS												0	0
1	MIS Call Furnishing	50											0	0
2	Salary of Computer Operator - 3 Nos.	7 p.m. x 12	3	184	3	252	3	252	3	252	3	252	15	1192

PROJECT COST
SERVA SHIKSHA ABHIYAN (2002-2007)
CHANDAULI

26.6.2
002

(Rs. in
Thousan

S. No.	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
			Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
	Salary of MIS Officer	10x12			1	120	1	120	1	120	1	120	4	480
3	MIS Equipments (where applicable)	460											0	0
4	Printing & Distribution of Data Formats	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
5	Maintenance of Equipments	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	5	100
6	Computer Consumables	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5	125
	Total		6	249	7	437	7	437	7	437	7	437	34	1997
	Sub Total (D)		5797	4966	6221	5691	6420	5328	6705	5184	6603	4674	31746	25843
	Grand Total		228116	119551	253044	179170	262352	183550	268692	202073	279415	187397	1291619	871740

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-11482
Date 09-07-2002

NIEPA DC
D11482

168